रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2013/आश्विन 18, 1935
No. 229] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2013/ASVINA 18, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013

फा.सं. 1(10)2012-एसपीएस. —भारत सरकार जम्मू और कश्मीर पैकेज-II के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक विकास को तीव्र करने के मद्देनजर राज्य की औद्योगिक इकाइयों के लिए केन्द्रीय अनुदान या राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम : — इस योजना को केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2012 कहा जाए।

2. योजना का प्रारम्भ और अवधि:- यह योजना 15 जून, 2012 से लागू होगी तथा 14.6.2017 तक लागू रहेगी।

3. योजना लागू होना : — यह योजना अनुबंध-I के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों की सभी नई औद्योगिक इकाइयों और और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयों तथा अनुबंध- II के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर के विनिर्दिष्ट मुख्य उद्योगों पर भी लागू है।

4. तथापि जम्मू और कश्मीर में वस्त्र क्षेत्र की किसी औद्योगिक इकाई के पास वस्त्र मंत्रालय की "प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना" (टीयूएफएस) के तहत अथवा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रशासित विशेष विशेष पैकेज के तहत राजसहायता के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।

5. स्वीकार्य राजसहायता की सीमा: —

सभी नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगी जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगे जिसकी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा क्रमश: 3.00 करोड़ रुपए और 1.50 करोड़ रुपए है।

6. पात्रता अवधि: —

यह राजसहायता इस योजना अवधि के दौरान ऐसी इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी जो पूर्व पंजीकृत हों तथा जिन्होंने दिनांक 14.06.2017 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया हो। इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना दावा दायर करना चाहिए।

7. परिभाषाएं:

(i) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ वह औद्योगिक इकाई है जिसने 15 जून, 2012 को अथवा इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू किया हो।

(ii) 'विद्यमान औद्योगिक इकाई' का अर्थ है वह औद्योगिक इकाई जिसने 15 जून, 2012 से पहले उत्पादन/प्रचालन शुरू किया हो।

(iii) 'पर्याप्त विस्तार' का अर्थ है क्षमता विस्तार के प्रयोजन से औद्योगिक इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी में नियत पूँजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से कम की वृद्धि नहीं की हो।

(iv) 'अचल पूँजी निवेश' का अर्थ है इस योजना के प्रयोजनार्थ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश करना।

(v) 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों' का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत वर्गीकृत उद्यम ।

(vi) "संयंत्र एवं मशीनरी": संयंत्र एवं मशीनरी की कीमत की गणना करने में, स्थल पर स्थित औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत का हिसाब लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण नोट अनुबंध -I।। पर दिया गया है।

8. राजसहायता के लिए दावों का अनुमोदन निम्नवत् होगा :-

(i) सचिव, उद्योग की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति 1.50 करोड़ रूपये तक के राजसहायता संबंधी दावे अनुमोदित करेगी। राज्य स्तरीय समिति की संरचना अनुबंध-IV पर दी गई है; और

(ii) 1.50 करोड़ रूपए से अधिक के दावों के लिए एसएलसी प्रस्ताव को सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ रखने की सिफारिश करेगी। अधिकार प्राप्त समिति की संरचना अनुबंध-V में दी गई है।

(iii) उपर्युक्त पैरा (i) के तहत दावों के अनुमोदन के लिए व्यापक दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

9. निषेध सूची:-

निम्नलिखित उत्पादों का विनिर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयां केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2012 के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:-

i. तंबाकू के सिगरेट/सिगार, तंबाकू एवं तंबाकू से विनिर्मित वस्तुएं, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आसवन/किण्वन और ब्रांड युक्त शीतल पेयों एवं उससे सान्द्रित उत्पादों का विनिर्माण।

ii. हथियार अथवा गोला बारूद।

iii. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के तहत शामिल पान मसाला।

iv. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 02.09.1999 की अधिसूचना का. आ. 705 अ तथा दिनांक 17.06.2003 की का.आ. 698 अ द्वारा विनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक की थैलियां।

10. पुराने संयंत्र एवं मशीनरी पर किया गया व्यय, तथा जहां संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए नगद भुगतान किया गया है, वहां ये राजसहायता के विचारार्थ पात्र नहीं होंगी।

11. कोई भी इकाई केन्द्र सरकार की अथवा राज्य सरकार की योजना में से केवल एक की योजना के तहत राजसहायता प्राप्त कर सकती है। राजसहायता की मांग करने वाली इकाई को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसने समान प्रयोजन अथवा क्रियाकलाप के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से राजसहायता प्राप्त नहीं की है अथवा राजसहायता के लिए आवेदन नहीं किया है।

12. राजसहायता के संवितरण के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसी

जम्मू और कश्मीर वित्त विकास निगम (जेकेडीएफसी) राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर पूंजी निवेश राजसहायता का संवितरण करने के लिए निर्धारित एजेंसी होगी। जेकेडीएफसी पात्र इकाइयों को राजसहायता के संवितरण के लिए जारी की गई निधि के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। जेकेडीएफसी केवल ईसीएस और आरटीजीएस प्रणाली के जरिए पात्र औद्योगिक इकाई को राजसहायता जारी करेगा।

13. पूंजी निवेश राजसहायता का दावा करने हेतु प्रक्रिया:

इस स्कीम के अंतर्गत राजसहायता दावा करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

i) इस योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के शुरू करने की तिथि से पहले संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में अपना पंजीकरण कराएंगी।

ii) बैंक द्वारा वित्तपोषित इकाइयों के मामले में बैंक योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए संयंत्र एंव मशीनरी के मूल्य को प्रमाणित करेगा।

iii) स्व-वित्तपोषित इकाइयों के मामले में इकाई द्वारा पंजीकरण करने के बाद जेकेडीएफसी द्वारा परियोजना का मूल्य निर्धारण किया जाएगा। जेकेडीएफसी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए संयंत्र एंव मशीनरी के मूल्य को भी प्रमाणित करेगा।

iv) इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए। दिनांक 15.06.2012 से पहले पूर्ववर्ती राजसहायता योजना के तहत पंजीकरण कराने वाली तथा वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर दावे प्रस्तुत करने वाली औद्योगिक इकाइयां पूर्ववर्ती योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र होंगी। दिनांक 15.6.2012 के बाद पंजीकृत होने वाली इकाइयां वर्तमान योजना के तहत आएंगी। तथापि यदि ऐसी इकाई मध्यवर्ती अवधि के दौरान पैकेज न होने के कारण डीआईसी (जिला उद्योग केन्द्र) में पंजीकृत नहीं होती है या वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं करती है तो वह इकाई 31 दिसम्बर, 2013 के बाद ऐसा नहीं कर सकती है।

14. पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया:

पूंजी निवेश राजसहायता की संवितरण प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

(I) इकाई की पात्रता और राजसहायता की मात्रा के संबंध में निर्णय करने के लिए राज्य स्तरीय समिति को प्रत्येक मामले की जांच करनी चाहिए।

(II) जेकेडीएफसी के पास दावों को संवितरण हेतु भेजने से पहले राज्य सरकार इस योजना के तहत एसएलसी द्वारा अनुमोदित दावों के संबंध में प्रलेखीकरण का पूरा होना सुनिश्चित करेगी।

(III) यदि कोई इकाई एसएलसी की बैठक के तीन महीने के भीतर एसएलसी द्वारा अनुमोदित अपने दावे के संबंध में प्रलेखीकरण पूरा करने में असफल रहती है तो दावे को स्थगित रखा जाएगा तथा अंतिम निर्णय के लिए इस पर एसएलसी की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

(IV) राजसहायता के संवितरण से पहले जेकेडीएफसी 10% प्रतिशत दावों की पूर्व जांच करेगा।

(V) भुगतान करते समय जेकेडीएफसी राजसहायता के संवितरण के लिए सबसे पुरानी एसएलसी के सबसे पुराने दावे के सिद्धांत पर विचार करेगा।

15. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के संबंध में संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय वित्तीय संस्था की मूल्य निर्धारण रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा।

16. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार:

यदि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्थाएं इस बात से संतुष्ट होती है कि औद्योगिक इकाई ने अनिवार्य तथ्यों की गलत प्रस्तुति द्वारा, झूठी सूचना देकर राजसहायता या अनुदान प्राप्त किया है अथवा इकाई ने इस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने के बाद पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक

उत्पादन/प्रचालन बंद कर दिया है तो उस इकाई को सुनवाई का अवसर देकर उससे अनुदान या राजसहायता लौटाने के लिए कहा जा सकता है।

17. किसी भी औद्योगिक इकाई के स्वामी को इस योजना के तहत आंशिक अथवा पूरा अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के बाद उत्पादन शुरू करने के पांच वर्ष के भीतर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्था की पूर्वानुमति के बिना औद्योगिक इकाई के स्थान में पूरी तरह अथवा उसके किसी भाग में बदलाव करने अथवा अपनी कुल अचल पूंजी निवेश के पर्याप्त भाग का पर्याप्त संकुचन या निपटान करने की अनुमति नहीं होगी।

18. इस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने वाली प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना तथा कार्य-स्थिति का 100 प्रतिशत वास्तविक सत्यापन राज्य सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के जरिए किया जाएगा। जिला उद्योग केन्द्र इकाइयों की कार्यप्रणाली के बारे में उद्योग निदेशालय और जेकेडीएफसी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात जेकेडीएफसी इस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों की कार्य प्रणाली के बारे में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुदान या राजसहायता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक औद्योगिक इकाई उत्पादन शुरू करने के बाद पांच वर्ष की अवधि के दौरान किए गए अपने कार्यों के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी जिसकी एक प्रति जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम (जेकेडीएफसी) को भेजेगी।

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

मौजूदा औद्योगिक संपदा की सूची

कश्मीर प्रभाग

क्र. सं.	जिले का नाम	औद्योगिक संपदा का नाम
01.	श्रीनगर	बीएएमके (बागी अली मर्दन खान) जकुड़ा जैनकोट खोनमोह शलटैंग
02.	गांदरबल	दुदेरहामा गंडेरबल
03.	बड़गाम	बर्जुल्ला रंगरेथ
04.	अनंतनाग	अनंतनाग अंचिडोर बिजबेहर
05.	कुलगाम	कुलगाम
06.	पुलवामा	पुलवामा चटपोड़ा आईडीसी लस्सीपोड़ा
07.	शोपियां	गगरन
08.	बारामूला	बारामूला सोपोर फूड पार्क दोआबगाह
09.	बांदीपुरा	सुबंल

10.	**कुपवाड़ा**	**ब्रानवाड़ा** **चोटीपोड़ा**
11.	**लेह**	**लेह** **फ्यांग** **खल्टसी**
12.	**कारगिल**	**चंचिक** **खुरबाठांग**

कश्मीर प्रभाग में नई औद्योगिक संपदा (विकासाधीन)

01.	अनंतनाग	वेस्सु अनंतनाग **शेस्टेरगम महमूदा बाग दुरु**
02.	**पुलवामा**	**टाकिया रजाक शाह त्राल** **खानमोह के निकट ख्रीव**
03.	**कुलगाम**	**अशमुजी कुलगाम** **मालवन कुलगाम** **कुलगाम फेज-II**
04.	**बड़गाम**	रंगरेथ फेज-II **ओम्पोड़ा**
05	**कुपवाड़ा**	**चोटीपोड़ा** (हंडवाड़ा) **राडबघ**
06.	**शोपियां**	**अगलर**
07.	**बारामूला**	**बंगील तंगमार्ग**
08.	लेह	**फ्यांग** **खाल्टसी**
09.	**कारगिल**	**ख्रबाथंग** (चंग्राथंग)

औद्योगिक संपदा की सूची

जम्मू प्रभाग

क्र. सं.	जिले का नाम	पहचान की गई संपदा के नाम
01.	**जम्मू**	**डिगिआना** **जम्मू कैंट** **गंगयाल** **बीरपुर** **बारीब्रहम्ना एवं ईपीआईपी करठोली** **अखनूर**
02.	**साम्बा**	**साम्बा** **आईजीसी साम्बा फेज-III**
03.	**ऊधमपुर**	**ऊधमपुर** **एच डी बट्टल बिलियन**

04.	रियासी	रियासी (ग्रान)
05.	कठुआ	कठुआ हीरानगर बिल्लावर आईआईडी गोविंदसर सेरामिक्स इंडस्ट्रियल कंप्लेक्स
06.	राजौरी	खेओड़ा
07.	पुंछ	पुंछ
08.	किश्तवाड़	संग्रामबट
09.	डोडा	दांडी(भडेरवाह)

जम्मू प्रभाग में नई औद्योगिक संपदा (विकासाधीन)

क्र.सं.	जिले का नाम	औद्योगिक संपदा का नाम
01.	कठुआ	घट्टी गोविंदसर फेज I-II डंबरा बिल्लावर हीरानगर (चाक बुलानंदा)
02.	राजौरी	ठंडी पानी (रेशम क्लस्टर) लंबेरी
03.	ऊधमपुर	मजल्टा
04.	डोडा	बेओली
05	रियासी	निंब
06.	पुंछ	सुरंकोट
07.	साम्बा	आईजीसी साम्बा फेज-III

अनुबंध-II

जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति के तहत शामिल किए गए मुख्य उद्योग

क्र.सं.	क्रियाकलाप/उद्योग
1	खाद्य प्रसंस्करण/कृषि आधारित उद्योग क. चटनियां, कैचप आदि ख. फलों का रस तथा फलों का गूदा ग. जैम, जैली, सब्जियों का रस, प्यूरे, अचार आदि घ. ताजे फलों का प्रसंस्करण, फल वर्धन, पैकिंग, श्रेणीकरण ङ.आटे की चक्की तथा चावल-मिल च. मसाले पीसना छ. दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों का पाश्चरीकरण/प्रसंस्करण
2	चमड़ा प्रसंस्करण तथा चमड़े की वस्तुएं
3	ऊतक संवर्धन और मशरूम संवर्धन, खाद बनाना, डेयरी फार्मिंग
4	सिल्क रीलिंग, यार्न और रेशम के अपशिष्ट से यार्न स्पन, रेशम या रेशम के अपशिष्ट से बुना हुआ कपड़ा।
5	ऊन तथा ऊन का बुना हुआ कपड़ा, ऊनी कंबल बनाना।
6	सूत का बुना हुआ कपड़ा

7	पुष्पकृषि, सुगन्धित और औषधीय पौधे का प्रसंस्करण, ग्रीन हाउस।
8	कम्प्यूटर हार्डवेयर/इलैक्ट्रॉनिक्स (इंटीग्रेटिड सर्किट एवं माइक्रो असेम्बलीज।
9	खेल-कूद का सामान एवं वस्तुएं तथा सामान्य शारीरिक व्यायाम के उपकरण
10	ऑटो एन्सलेरी।
11	खनिजों की खोज तथा खनिज आधारित उद्योग। जिप्सम, चिप बोर्ड सहित प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्रेनाइट एवं मार्बल कटिंग और फिनिशिंग, रत्नों की कटिंग और पॉलिशिंग तथा आभूषण बनाना।
12	पारिस्थितिकी पर्यटन:- होटल, हाउसबोट, रिजॉर्ट, साहसिक तथा आरामदेह खेल, मनोरंजन पार्क, केबल कार, गेस्ट हाउस।
13	हस्तशिल्प और हथकरघा
14	सूक्ष्म इंजीनियरिंग
15	पैकिंग उद्योग :- चिपकने वाले टेप, स्ट्रेपिंग रोल, पेट बोतल कार्ड बोर्ड कॉरूगेटिड बॉक्स, प्लास्टिक कंटेनर कैप, एचडीपीई बोतल, ड्रम, बैरल, कैन, बोतलों के लिए आरओपीपी कैप, बुने हुए बोरे (वूवन सैक), एचडीपीई फैब्रिक जैसी मदें।
16	मिनरल वॉटर को बोतलबंद करना।
17	नोट बुक, पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स आदि जैसा स्टेशनरी का सामान।
18	लकड़ी आधारित उद्योग:- प्लाइवुड/प्लाइ बोर्ड/कोर वनीर/पेंसिल ब्लॉक/स्लेट्स/जॉइनरी/फर्नीचर/पैनलिंग का विनिर्माण

अनुबंध-III

क. संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना के लिए शामिल किए जाने वाले घटक

i. **विनिर्माण क्रियाकलपों को चलाने के लिए प्रयुक्त मुख्य उत्पादन उपकरणों की लागत जैसे करों और शुल्कों सहित औद्योगिक संयंत्र एवं मशीनरी की लागत**

ii. **करों और शुल्कों सहित औजारों, सांचों, रंगों और मोल्डों, बीमा प्रीमियम आदि जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत।**

iii. **मीटर स्थापना के स्थान से तैयार वस्तुओं के उत्पादन/प्रेषण के बिन्दु तक संयंत्र की जगह पर संयंत्र के संचालन के लिए आवश्यक इलैक्ट्रिकल संघटक (अर्थात् एच.टी. मोटर्स, एल.टी. मोटर्स, स्विच बोर्ड, पैनल, कैपेसिटर्स, रिले, सर्किट ब्रेकर्स, पैनल बोर्ड, स्विचगियर्स)**

iv. **आपूर्तिकर्ता के परिसर से इकाई के स्थान तक संयंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरणों को लाने के लिए दिया गया मालभाड़ा शुल्क।**

v. **भुगतान किया गया ट्रांजिट बीमा प्रीमियम।**

ख. वे घटक जिन पर संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा :

i. **माल को लादने एवं उतारने का शुल्क**

ii. **संयंत्र एवं मशीनरी के लिए शेड/भवन**

iii. **विविध अचल सम्पत्ति जैसे डीजी सेट, खुदाई/खनन उपकरण, हैंडलिंग उपकरण, उपर्युक्त क (iii) में उल्लिखित घटकों के अलावा इलैक्ट्रिकल संघटक।**

iv. **कच्चे माल तथा अन्य उपभोक्ता स्टोरों सहित कार्यशील पूंजी।**

v. **प्रवर्तन लागत।**

vi. **आंतरिक विद्युत संयंत्र**

vii. **भंडार उपस्कर**

viii. **के-ब्रिज, लेबोरेट्री परीक्षण उपकर**

ix. **उन्नयन एवं प्रतिस्थापन्न प्रभार**

एक विशेष सीमेंट संयंत्र के लिए संयंत्र एवं मशीनरी

(क) लाइमस्टोन क्रशिंग सेक्शन

1. लाइमस्टोन क्रशर

2. सभी अनुषंगी जैसे लाइमस्टोन हॉपर के नीचे फीडर, बेल्ट कन्वेयर, डिडस्टिंगग उपस्कर जैसे साइक्लोन एंड बैग फिल्टर्स स्क्रीन आदि

3. रॉ मिल हॉपर्स के लिए (जैसा कि अपेक्षित है) बेल्ट कन्वेयर, एडिट्टिस क्रशर एंड बेल्ट कन्वेयर वाले लाइम स्टोन स्टैकर एंड रिक्लेमर।

(ख) कच्ची सामग्री का ग्राइडिंग सेक्शन

1. रॉ मिल (बार मिल/वीएमआर/रोलर प्रेस एंड बार मिल)

2. सभी रॉ मिल अनुषंगी जैसे वे फीडर बिलो हॉपर, सेपेरटर, फैंस, बकेट एलीवेटर, रोटरी एयर लॉक, एयर स्लाइड्स, मैग्नेटिक सेपेरटरश्, मेटल डिटेक्टर, एफ के पम्प, फ्लक्सो पम्प, डिडस्टिंग उपस्कर जैसे साइक्लोन, बैग फिल्टर, बैग हाऊस आईईएसपी (किल्न और मिल दोनों के लिए) फैन सहित आदि।

(ग) रॉ मिल एक्सट्रक्शन/किल्न फीड सेक्शन

1. रॉ मील साइलो, सोलिड फलो मीटर के पहले और बाद में ब्लोअर्स वाले सभी स्लाइड्स

2. किल्न फीड बकेट एलिवेटर/एयर लिफ्ट

(घ) पायरो प्रोसेसिंग सेक्शन

1. प्रीहीटर साइक्लोन एंड कैल साइपर वाले रोटरी किल्न

2. सभी अनुषंगी उपस्कर जैसे प्रीहीटर ळफैन, शैल कूलिंगफेंस, ब्लोअर्स, डाऊन कमर डक्ट तथा हॉट गैसों, फ्रेश एयर उम्पर्स के लिए अन्य डक्ट्स आदि।

3. किल्न एंड कैलसाइनर के लिए वर्नर, गैस एनालाइजर्स, ताप एवं दाब मापी उपस्कर आदि।

4. क्लिकंर कूलर।

5. सभी कूलर अनुषंगी उपस्कर जैसे कूलिंग फैंस ईएसपी एवं ईएसपी फैंस, क्लिकंर क्रशर आदि।

6. क्लिंकर कनवेमिंग उपस्कर जैसे डीप पैन कनवेयर (डीपीसी)

7. बैग फिल्टर्स, बेल्ट कनवेयर आदि जैसे सभी अनुषंगियों वाले कोयला क्रशर

8. कोयला हॉपर में बेल्ट कनवेयर फीडिंग सहित कोयले के लिए स्टेकर एंड रिक्लेमर

9. कोयला/पेटकोक/लिग्नाइट/वैकल्पिक ईंधनों के लिए फ्यअल ग्राइंउिग मिल (बार मिल/वीआरएम)

10. सभी कोयला मिल/फ्यूअर ग्राइडिंग मिल अनुषंगी जिसमें रॉ कोल हॉपर के नीचे वे फीडर, सेपरेटर्स, बकेट एलिनेटर, रोटरी एयर लॉक, एयर स्लाइड्स, बैग हाउस, बैग हाउस पैन ब्रुस्टर फैन, बेल्ट कैनवेयर तथा स्क्रुकनवेयर, इनेरटाइजेशन सिस्टम आदि शामिल हैं। इसमें अन्य वैकल्पिक ईंधन के लिए प्रणाली भी शामिल है।

(ड.) सीमेंट ग्राइडिंग सेक्शन

1. **सीमेंट मिल (बार मिल/वीआरएम/रोलर प्रेस एंड बार मिल)**

2. सीमेंट मिल अनुषंगी जैसे हॉपर के नीचे वे फीडर, सेपरेटर, बकेट एलिवेटर, रोटरी एयर लॉक, एयर स्लाइड्स, एक के पम्प, फ्स्क्सो पम्प, सोलिड फ्लो मीटर, बैग हाउस, बैग हाउस फैन, कनवेयर्स, सिला/स्टॉकपाइलके नीचे मैटेरियल एक्स्ट्रक्शन गेट्स, जिप्सम क्रशर, स्लैग आदि के लिए फ्लाइएश/मेकानिकल हैंडलिंगकी न्यूमैटिक हैंडलिंग सिस्टम आदि।

(च) पैकिंग सेक्शन

1.पैकर तथा इसकी अनुषंगी इकाइयां जैसे बेल्ट कनवेयर, बेल्ट डायवर्टर, स्क्रीन आदि।

2. ट्रक लोडर तथा वैगन लोडर (यदि आवश्यकता है), बल्क लोडिंग एवं पैकेजिंग व्यवस्था।

(छ) अन्य

1. ब्लोअर्स, पम्पस, कम्प्रेसर्स आदि।

2. बेल्ट कनवेयर्स (सभी खण्डों के लिए)

3. फैन वाले डि-डस्टिंग बैग फिल्टर्स (स्थानान्तरण बिंदु से)

4. सैम्पलर्स

5. हॉट एयर जनरेटर्स, यदि कोई हो

6. संयंत्र के कार्य प्रचालन (प्लांट पीएलसी) के लिए सॉफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रिकल तथा कंट्रोल एंड इंस्ट्रमेंटेशन इक्विपमेंट जिसमें एचटी एंड एलटी मोटर्स, डीसी माटर्स, थाइरिसटर्स पैनल्स, एसपीआरएस सिस्टम, कैपेसिटर्स आदि शामिल हैं।

(ज) <u>इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-</u>

1. वर्कशाप उपस्कर

2. लेबोरेट्री उपस्कर

3. उपर्युक्त छ (6) को छोड़कर विद्यत वितरण संबंधी उपस्कर

4. जलआपूर्ति के लिए उपस्कर

5. अग्निशमन उपस्कर

6. उत्खनन मशीनरी

7. संयंत्र/आंतरिक विद्यत संयंत्र के लिए डीसी सेट्स

8. वे-ब्रीज, रेलवे साइडिंग, लोकोमोटिब्ज, ट्रक ट्रिप्लर्स आदि

9. संयंत्र बिल्डिंग (जैसे एमसीसी कमरे, कम्प्रेसर हाउस आदि, तथा गैर-संयंत्र बिल्डिंग (जैसे स्टोर, प्रशासनिक बिल्डिंग, कैंटीन आदि।

10. भंडारण बिल्डिंग जैसे साइलो, हॉपर्स, स्टॉकपाइल्स

<u>इस्पात एवं रोलिंग मिल के लिए संयंत्र एवं मशीनरी (सेक्शन-वार)</u>

(क) <u>गलन खण्ड (मेल्टिंग सेक्शन)</u>

1.प्रेरण भट्टियां एवं .विद्युत भाप भट्टियां जिसमें सभी इलेक्ट्रिकल प्रतिस्थापनांए, गजेट्स, नियंत्रण पैकेज, मीटर, कैबल, बसवार्स, आपात काल जल प्रणाली, मेन वाटर कूलिंग सिस्टम आदि सभी लगे हों।

2. कास्टिंग सेक्शन: लैडल्स, ऑयल बर्नर्स, गैस पार्जिंग सिस्टम, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, यदि कोई हो, सतत ढलाई इकाई जिसमें मोटर्स् पम्पस, विदड्राल सिस्टम, डीएम वाटर सिस्टम, जल शोधन संयंत्र, कनवेयर बेल्ट्स आदि लगे हों।

3. अनुषंगी उपकरण एवं क्रेनें

4. कार्यशाला मशीनें

5. विद्युत उपकरण(एचटी मोटर, एल टी मोटर, स्विच बोर्ड, कैप एसीटर्स, रिले सर्किट ब्रेकर्स, पैनेल बोर्ड, स्विच गीयर्स)

(ख) <u>रोलिंग मिलें</u>

1. आरएचएफ (रि-हीटिंग फर्नेस)- संयंत्र मशीनरी में पहचान की गई चादरों, रिफ्रैक्ट्री, पुशर मोटर्स्, बर्नर्स, चिमनी, रिक्युपिरेटर्स, एपीसीटी आदि सहित सभी मदें।

2. रफिंग स्टैण्ड जिसमें रिमोटर्स, रिपीटर्स (यदि कोई हो), मैकेनाइजेशन (यदि कोई से) बियरिंग्स, कूलिंग सिस्टम आदि शामिल है जिनकी संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में पहचान की गई है।

3. इंटरमीडिएट स्टैण्ड्स (यथोपरि)

4. फिनिशिंग स्टैंड (उपर्युक्तानुसार)

5 .क्वेचिंग सिस्टम (टीएमटी के लिए)

6.शियर्स, पिंच रोल

7.कूलिंग बैड सिस्टम

8.क्रेन

9.कार्यशाला मशीनें (खराद, शापर, ड्रिल, ग्राइंडर, मिलिंग मशीन, टेम्प्लैट, स्क्रू गेज, वर्नियर आदि जैसे मापने वाले यंत्र)

10.सहायक उपकरण (संयंत्र मशीनरी के रूप में शामिल)

11.विद्युत उपकरण (करंट ट्रास्फार्मर, सर्किट ब्रेकर्स, पैनल बोर्ड, मोटर्स, रिअक्टर्स, नीले पैनल, स्वीच गियर, स्टार्टर्स, डिजिटल मोटर्स आदि)

12.अन्य सामग्री संचालन उपकरण (गर्म धातु अंतरण के लिए रोलिंग मिल्स भट्टी क्षेत्र के भीतर)-(कन्वेयर जो यंत्रीकरण/आटोमेशन, चेन पुली ब्लॉक आदि में परिणत होता है)।

13.जल प्रणाली उपकरण तथा टावर्स-(धात्विक संदूषण, तेल, ग्रीस आदि को हटाने के लिए वाटर सेटल टैंक, डीएम वाटर प्लांट, यदि कोई हो। वाटर पम्पिंग यूनिट, वाटर कूलिंग पावर/सिस्टम आदि।)

14. संवितरण के लिए पाईपलाइन सहित कोयला पीसने की प्रणाली

<u>पारिस्थितीय पर्यटन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की परिभाषा</u>

(क) होउसबोट के मामले में, इसकी फिटिंग एवं फिनिशिंग सहित सम्पूर्ण होउसबोट परियोजना संयंत्र एवं मशीरनी के रूप में मानी जाएगी।

(ख) होटल, रिजोर्ट एवं गेस्ट आऊस (केवल लद्दाख) के मामले में, संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश भूमि तथा भवन की लागत की तुलना में नग्णय है। इसलिए भवन को भी संयंत्र एवं मशीनरी के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा नीचे (ग) में दिए गए मदों को संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाए।

(ग) संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण की व्याख्यात्मक सूची नीचे दी गई है:-

1. तरणताल के लिए फिल्ट्रैशन संयंत्र।
2. जल शोधन संयंत्र।
3. गर्म जल बॉयलर और कमरे को गर्म करने वाला उपकरण (निर्धारित)।
4. जल को मृदु बनाने वाला संयंत्र।
5. भाप निष्कर्षण एवं वेन्टिलेशन संयंत्र।
6. एयर कंडिशनिंग संयंत्र।
7. शीतागार (कोल्ड स्टोरिज) उपकरण।
8. लांड्री उपकरण।
9. कूलर एवं रेफ्रिजेशन उपकरण।
10. बेकरी उपकरण।
11. मल निपटान संयंत्र।
12. विद्युत संस्थापन।
13. शिविर लगाने के लिए टेन्ट।
14. रसोई उपकरण, कूकिंग रेंज, डिश वाशर, वर्किंग टेबल।
15. अग्नि शमन उपकरण (जड़ा हुआ)
16. दूरभाष उपकरण/एक्सचेंज
17. लिफ्ट।
18. सुरक्षित जमा लॉकर।
19. परिसर के भीतर पम्पिंग सेट और लाइनों सहित ट्यूबवेल्स।
20. अनन्य रूप से होटल की आवश्यकता के लिए माल वाहन।
21. सम्मेलन कक्ष के लिए प्रोजेक्टर्स तथा अन्य उपकरण (जड़ा हुआ)
22. लाईटिंग उपकरण।
23. ऐड्वेन्चर और वाटर स्पोर्ट्स उपकरण।

(घ) साहसिक एवं आरामदायक खेलों, क्रीडा/मनोरंजन पार्कों, केबल कार, रोपवे और स्पा के लिए मदों एवं संघटकों (भूमि को छोड़कर) की संपूर्ण लागत परियोजना की शुरूआत के लिए अनिवार्य है।

साहसिक एवं आरामदायक खेलों आदि के तहत सम्मेलन कक्ष, आडिटोरियम आदि जैसी अतिरिक्त मदों को छोड़कर स्वीकार्य मदों की परिभाषा।

अनुबंध-IV

राज्य स्तरीय समिति की संरचना

1.	सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	अध्यक्ष
2.	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य, कश्मीर	सदस्य सचिव*
3.	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य, जम्मू	सदस्य सचिव*
4.	निदेशक, लेखा एवं कोष	सदस्य
5.	प्रबंध निदेशक, जम्मू एवं काश्मीर विकास वित्त निगम	सदस्य
6.	वित्तीय सलाहकार/सीएओ, आईएण्डसी विभाग	सदस्य
7.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के नामिती	सदस्य
8.	प्रेसिडेन्ट, फेडरेशन चैम्बर आफ इंडस्ट्रीज	सदस्य
9.	अध्यक्ष, उद्योग परिसंघ, जम्मू	सदस्य

*जैसा लागू हो

अनुबंध-V

अधिकार प्राप्त समिति का गठन

1.	सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
3.	योजना आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	दावेदार इकाई के औद्योगिक क्रियाकलाप से प्रशासनिक रूप से संबद्ध मंत्रालय के सचिव	सदस्य
5.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
6.	मुख्य सचिव/आयुक्त (उद्योग), जम्मू एवं काश्मीर	सदस्य
7.	प्रबंध निदेशक, जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य सचिव
9.	संबंधित वित्तीय संस्थान के राज्य प्रतिनिधि	सदस्य
10.	मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October,2013.

F.No.1(10)2012-SPS. The Government of India is pleased to make the following scheme of Central Grant or Subsidy for Industrial units in the Jammu & Kashmir as J&K Package-II with a view to accelerating the industrial development in the State.

1. **Short Title:-** This scheme may be called the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2012.

2. **Commencement and duration of the Scheme:-**It will come into effect from the 15th June, 2012 and remain in force upto and inclusive of 14.06.2017.

3. **Applicability of the Scheme:-** The scheme is applicable to all new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion in notified areas as per **Annexure-I** and also to specified Thrust Industries outside the notified areas as per **Annexure-II.**

4. However an industrial unit in Textile sector in Jammu & Kashmir would have the choice to apply for subsidy either under "Technology Upgradation Fund Scheme" (TUFS) of Ministry of Textile or under the Special Package administered by DIPP.

5. Extent of admissible subsidy :

All new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion , would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of investment of Plant & Machinery, subject to a ceiling of Rs. 30 lakhs. Micro,

Small and Medium enterprises would be eligible for Capital Investment Subsidy of 30% of the investment of plant & machinery subject to a ceiling of Rs. 3.00 crore and Rs. 1.50 crore for manufacturing and service sector respectively.

6. Eligibility period:—

The subsidy will be available for the duration of the scheme to such units which have pre-registered and commence commercial production / operation prior to 14-06-2017. The unit should file its claim as per prescribed procedure at District Industry Centre concerned within one year from date of commencement of commercial production / operation.

7. Definitions:-

(i) 'New Industrial Unit' means an industrial unit which commences commercial production/operation on or after 15th June, 2012.

(ii) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit which has commenced commercialproduction / operation before 15th June, 2012.

(iii) 'Substantial Expansion' means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity.

(iv) 'Fixed Capital Investment' means investment in plant and machinery for the purpose of this scheme.

(v) 'Micro, Small and Medium Enterprises' means enterprises as classified under sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, as amended from time to time"

(vi) 'Plant & Machinery':In calculating the value of Plant & Machinery, the cost of industrial plant & machinery at site will be taken into account. Further explanatory note is at **Annexure-III**.

8. **The approval of claims of subsidy will be as follows:**

i) A State Level Committee headed by Secretary, Industry will approve claims for subsidy upto Rs.1.50 crore. The composition of the State Level Committee is at **Annexure-IV**; and

ii) For claims more than Rs.1.5 crore the SLC will recommend the proposal for consideration of the Empowered Committee chaired by Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion. The constitution of the Empowered Committee is at **Annexure-V**.

iii) Broad guidelines for approval of the claims under para (i) above shall be notified by the Govt. of India.

9. Negative list

The industrial units which manufacture the under mentioned products, will not be eligible for benefit under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2012:

(i) Cigarettes/cigars of tobacco, manufactured tobacco and substitutes, distillation/brewing of alcoholic drinks and manufacture of branded soft drinks and its concentrates.

(ii) Weapon or ammunition.

(iii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).

(iv) Plastic Carry bags of less than 20 microns as specified by Ministry of Environment & Forests Notification No. S.O. 705**(**E) dated 02-09-1999 and S.O.698(E) dated 17-06-2003.

10. Expenditure on second hand plant and machineryand plant and machinery where cash payment has been made for procurement, would not be eligible for consideration of the subsidy.

11. A unit can avail subsidy only under a single scheme, either from the Central Government or from the State Government. A unit seeking subsidy should certify that it has not obtained or applied for subsidy for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government.

12. Designated agency for disbursement of subsidy

Jammu & Kashmir Development Finance Corporation (JKDFC) shall be the designated agency for disbursement of Capital Investment Subsidy on the basis of the recommendation of the State Government. JKDFC shall furnish the Utilization Certificate to Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion against the funds released for disbursement of subsidy to the eligible units. JKDFC shall release the subsidy to the eligible industrial unit through ECS and RTGS system only.

13. Procedure for claiming Capital Investment Subsidy

The procedure for claiming subsidy under this scheme would be as follows:-

i) Industrial units eligible for subsidy under the scheme will get themselves registered with the District Industry Centre concerned prior tothe date of commencement of commercial production / operation.

ii) In case of Bank financed units, the Bank shall certify the value of plant and machinery for the project as per scheme guidelines.

iii) In case of self-financed units, the project would be appraised by JKDFC after registration by the unit. JKDFC would also certify the value of plant and machinery as per scheme guidelines.

iv) Unit should submit their claim within one year from the date of commencement of commercial production / operation. The industrial units registered before 15-06-2012 under the erstwhile scheme of subsidies and have filed the claims within one year of the date of commencement of commercial production / operation would be eligible for subsidies under erstwhile scheme. Units which were registered after 15-06-2012 would be covered under the present scheme. However, if such a unit has not registered with DIC (District Industry Centre) due to non-existence

of the package during the intervening period or not submitted claim within one year of the date of commencement of commercial production / operation, the Unit can do so not later than 31st December, 2013.

14. Procedure for disbursement of Capital Investment Subsidy

The procedure for disbursement of Capital Investment Subsidy shall be as follows :-

(i.) The State Level Committee should examine each case to decide the eligibility of the unit and the quantum of subsidy.

(ii). The State Government shall ensure complete documentation in respect of claims approved by SLC under the scheme before forwarding the same to JKDFC for disbursement.

(iii). If a unit is unable to complete documentation in respect of its claim approved by SLC within three months of SLC meeting, the claim shall be put in abeyance and will be reconsidered in its next meeting for final decision.

(iv). JKDFC will undertake pre scrutiny of 10% claims before disbursement of subsidy.

(v). While making payments, JKDFC will consider the principle of oldest claim of oldest SLC first for disbursement of subsidy.

15. In respect of units financed by Financial Institution, the appraisal report of the Financial Institution would be taken into account while computing the value of Plant & Machinery.

16. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions

If the Central Government/State Government/financial Institutions concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresenting an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of commercial production / operation within 5 years after commencement, the unit would be liable to refund the grant or subsidy after being given an opportunity of being heard.

17. No owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the grant or subsidy will be allowed to change the location of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into commercial production / operation without taking prior approval of the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government/Financial Institution concerned

18. 100% physical verification of the actual establishment and working status of each of the units availing subsidy under the scheme will be done by State Government through District Industries Centres. District IndustriesCentres shall submit annual report to the Directorate of Industries and JKDFC about the functionality of the units. JKDFC shall thereafter submit annual report to the Department of Industrial Policy and Promotion about the functionality of the units availing subsidy under the scheme.After receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall also submit Annual Progress Report to the State Government with a copy to Jammu & Kashmir Development Finance Corporation (JKDFC) about its working for a period of 5 years after going into commercial production / operation.

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

ANNEXURE-I
List of Existing Industrial Estates.
Kashmir Division

Sl. No..	Name of District	Name of Industrial Estate
01.	Srinagar	BAMK (Bagi Ali Mardan Khan Zakura Zainkote Khonmoh Shaltaing
02.	Ganderbal	DuderhamaGanderbal
03.	Budgam	Barzulla Rangreth
04.	Anantnag	Anantnag Anchidora Bijbehara
05.	Kulgam	Kulgam
06.	Pulwama	Pulwama Chatpora IDC Lassipora
07.	Shopian	Gagran

08.	Baramulla	Baramulla Sopore Food Park Doabgah
09.	Bandipora	Sumbal
10.	Kupwara	Branwara Chotipora
11.	Leh	Leh Phyang Khaltsi
12.	Kargil	Chanchik Khurbathang

New Industrial Estates (Under Development) in Kashmir Division.

01.	Anantnag	VessuAnantnag ShestergamMehmoodaBaghDuru
02.	Pulwama	TakiaRazak Shah Tral Khrew near Khanmoh
03.	Kulgam	AshmujiKulgam MalwanKulgam Kulgam Phase II
04.	Budgam	Rangreth Phase-II Ompora
05	Kupwara	Chotipora (Handwara) Radbugh
06.	Shopian	Aglar
07.	Baramulla	BangilTangmarg
08.	Leh	Phyang Khaltsi
09.	Kargil	Khrbathang (Changrathang)

List of Industrial Estates
Jammu Division

Sl.No.	Name of District	Name of Identified Estate
01.	Jammu	Digiana Jammu Cantt. Gangyal Birpur Baribrahmna& EPIP Kartholi Akhnoor
02.	Samba	Samba IGC Samba Phase-III
03.	Udhampur	Udhampur H D BattalBallian
04.	Reasi	Reasi (Gran)
05.	Kathua	Kathua Hiranagar Billawar IID Govindsar Ceramix Ind. Complex
06.	Rajouri	Kheora
07.	Poonch	Poonch
08.	Kishtwar	Sangrambata
09.	Doda	Dandi (Bhaderwah)

New Industrial Estates (Under Development) in Jammu Division

Sl.No.	Name of District	Name of Industrial Estate
01.	Kathua	Ghatti Govindsar Phase I-II DambraBillawar Hiranagar (ChakBulananda)
02.	Rajouri	ThandiPani (Silk Cluster) Lamberi
03.	Udhampur	Majalta
04.	Doda	Beoli
05	Reasi	Nimba
06.	Poonch	Surankote
07.	Samba	IGC Samba Phase-III

ANNEXURE –II

Thrust Industries included under J&K Industrial Policy

Sl.No.	**Activity /Industry**
1.	**Food processing /Agro based Industries :-** a. Sauces, Ketchup etc. b. Fruit juices and Fruit pulp c. Jams, Jellies, Vegetable Juices, Puree, pickles etc. d. *Processing of fresh fruits,* Fruit waxing, packing, grading. e. *Flour mills and Rice Mills.* *f. Spice grinding.* *g. Pasteurization/Processing of milk and other dairy products.*
2.	**Leather** processing and Leather goods.
3.	**Tissue culture** and ***Mushroom*** *culture, Compost making , Dairy farming.*
4.	**Silk** reeling, yarn and yarn spun from silk waste, Woven fabrics of silk or silk waste.
5.	**Wool** and woven fabrics of wool, *Manufacturing of woolen blanket.*
6.	**Woven fabrics of cotton.**
7.	**Floriculture**, Processing of Aromatic and medicinal plant, **Green house.**
8.	**Computer hardware/**Electronics (integrated circuit and micro assemblies).
9.	**Sports goods** and articles and equipment for general physical exercise.
10.	**Auto ancillaries**.
11.	**Exploration of minerals** and *minerals based industry. Gypsum, Plaster of Paris with chip boards, Granite and Marble cutting and finishing, cutting and polishing of gems and making of jewellary.*
12.	**Eco tourism** :- Hotels, Houseboats, Resorts, Adventure and leisure sports, Amusement parks, Cable car, Guest houses.
13.	**Handicrafts and *Handlooms*.**
14.	**Precision engineering.**
15.	***Packing industry*** *:-items like adhesive tapes, strapping rolls, pet bottles, Card board corrugated boxes, plastic container caps, HDPE bottles, drums, barrels, cans, ROPP caps for bottles, Woven sacks, HDPE fabric.*
16.	***Bottling of mineral water*.**
17.	***Stationery items*** *like note book, Pen, Pencils, Erasers, Sharpeners, Geometry boxes etc.*
18.	***Wood based industry*** *:- Manufacturing of plywood / Ply board / Core veneer / Pencil Blocks / Slates/ Joinery / Furniture / Paneling.*

ANNEXURE-III

A. Components to be included for computing the value of Plant & Machinery:

i. Cost of Industrial Plant & Machinery including taxes and duties i.e. cost of mother production equipment used for carrying out manufacturing activities.

ii. Cost of Productive equipment such as tools, jigs, dyes and mouldsetc including taxes and duties and insurance premium.

iii. Electrical components necessary for plant operation on the plant side from where meter is installed up to the point where finished goods is to be produced/dispatched (i.e. H.T. Motors, L.T. Motors, Switch Boards, Panels, Capacitors, Relay, Circuit Breakers, Panel Boards, Switchgears).

iv. Freight charges paidfor bringing Plant & Machinery and equipment from the supplier's premises to the location of the unit.

v. Transit Insurance premium paid.

B. Components which will not be considered for computing the value of Plant and Machinery:

i. Loading and unloading charges

ii. Sheds/buildings for Plant & Machinery.

iii. Miscellaneous fixed assets such as DG sets, Excavation / Mining equipments, Handling equipments, electrical components other than those mentioned at A (iii) above.

iv. Working Capital including Raw Material and other consumable stores.

v. Commissioning cost.

vi. Captive Power Plants

vii. Storage equipments

viii. Weigh bridge, Laboratory testing equipment

ix. Erection and installation charges

PLANT & MACHINERY FOR A TYPICAL CEMENT PLANT

A. Limestone crushing section

1. Limestone crusher
2. All crusher auxiliaries like feeder below limestone hopper, belt conveyor, dedustingequipments like cyclone & bag filters, screen etc.
3. Limestone stacker &Reclaimer with belt conveyor, Additive(s) crusher & belt conveyor (as required) feeding to Raw Mill Hoppers

B. **Raw Material grinding section**

1. Raw mill (Ball Mill/VRM/Roller Press & Ball Mill)
2. All raw mill auxiliaries like weigh feeder below hopper, separator, fans, bucket elevator, rotary air lock, air slides, magnetic separator, metal detector, FK Pump, Fluxo Pump, dedustingequipments like cyclone, bag filters, Bag house/ ESP (common for kiln & mill) with fan etc.

C. **Raw meal extraction/kiln feed section**

1. All slide with blowers before & after raw meal silo, solid flow meter.
2. Kiln feed bucket elevator/airlift

D. Pyro processing section

1. Rotary kiln with preheater cyclones &calciner.
2. All auxiliary equipments like preheater fan, shell cooling fans, blowers, down comer duct and other ducts for carrying hot gases, fresh air dampers etc.
3. Burner for Kiln &Calciner, Gas analysers, Temperature & pressure measuring equipment etc.
4. Clinker Cooler.
5. All cooler auxiliariesequipments like cooling fans, ESP &ESP fan, clinker crusher etc.
6. Clinker conveying equipment like Deep pan conveyor (DPC)
7. Coal crusher with all auxiliaries like bag filters, belt conveyor etc.
8. Staker&Reclaimer for Coal including belt conveyor feeding to coal hopper
9. Fuel Grinding Mill (Ball Mill/ VRM) for Coal/petcoke/lignite/alternate fuels
10. All coal mill/Fuel grinding mill auxiliaries including weigh feeder below raw coal hopper, separator, bucket elevator, rotary air lock, air slides, bag house, bag house fan booster fan, belt conveyor & screw conveyor, inertisation system etc. This also includes system for other fuel alternate fuel.

E. Cement grinding section

1. Cement mill (Ball Mill/VRM/Roller Press & Ball Mill)
2. Cement Mill auxiliaries like weigh feeder below hopper, separator, bucket elevator, rotary air lock, air slides, FK Pump, Fluxo Pump, solid flow meter, bag house, Bag house fan, conveyors, Material extraction gates below Silo/ stockpile, Gypsum crusher, Pneumatic Handling system for Flyash/ Mechanical handling system for slag etc.

F. Packing Section

1. Packer & its auxiliaries such as belt conveyor, belt diverter, bucket elevator, screen etc.
2. Truck loader & Wagon loader (if applicable), Bulk Loading & Packaging arrangement.

G. Others

1. Blowers, Pumps, compressors etc.
2. Belt Coveyors (for all sections)
3. De-dusting bag filters (across transfer points) with fans.
4. Samplers
5. Hot Air Generator if any
6. Electrical and Control & instrumentation equipment alongwith software for plant operation (plant PLC) including HT & LT Motors, Dc Motors, Thyristor Panels, SPRS System, Capacitors etc.

H. Exclusions:-

1. Workshop equipment
2. Laboratory equipments
3. Equipment for power distribution other than those at G (6) above
4. Equipment for water supply
5. Fire Fighting Equipment
6. Mining machinery
7. D.G. Sets for Plant/captive power plant
8. Weigh Bridge, Railway Siding, Locomotives, Truck Tripplers etc.
9. Plant Building (like crusher building, mill house etc.), Auxiliary building (like MCC rooms, compressor house etc) and Non Plant Buildings (like Store, Administrative building, canteen etc.)
10. Storage Building like Silo, Hoppers, Stockpiles.

PLANT & MACHINERY FOR A STEEL AND A ROLLING MILL (SECTION WISE)

A. MELTING SECTION

1. Induction Furnaces & Electric Arc Furnaces with all electrical installations, gadgets, control panels, meters, cables, busbars, emergency water system, main water cooling system etc
2. Casting Section: Ladles, oil burners, gas purging system, ladle refining furnace, if any, vacuum degassing units, if any, continuous casting unit with motors, pumps, withdrawal system, DM water system, water treatment plant, conveyor belts, etc.
3. Auxiliary Equipments& Cranes.
4. Workshop Machines
5. Electrical Equipments (HT Motor, LT motor, Switch Board, Cap acitors, Relay Circuit Breakers, Panel Boards, Switch Gears).

B. ROLLING MILLS

1. RHF (Re-heating Furnance)- all items including Sheets, Refractory, Pusher Motors, Burners, Chimney, recuperator, APCD etc. as defined in Plant & Machinery.
2. Roughing Stand including motors, repeaters (if any), mechanization (if any), bearings, cooling systems etc. which are defined as Plant & Machinery.
3. Intermediate stands (as above)
4. Finishing stands (as above)
5. Quenching system (for TMT)
6. Shears, Pinch Roll
7. Cooling Bed Systems
8. Crane
9. Workshop Machines (Lathe, Shapere, Drils, Grinders, Milling Machine, Templates, measuring equipments like screw gauge, vernier etc.)
10. Auxiliary equipments (included as Plant Machinery)
11. Electrical equipments (Current transformers, circuit breakers, panel boards, motors, reactors, Relay panels, switch gears, starters, digital meters, etc.)

12. Other material handling equipments (within the Rolling Mills furnace area for hot metal transfer) – (Conveyor which lead to mechanization/automation, chain pulley blocks etc.)

13. Water System equipments and towers- (Water settle tanks for removal of metallic contamination, oil, grease, etc., DM water plant, if any. Water pumping units, water cooling power/system etc.

14. Coal Pulverizer system including Pipeline for delivery

Definition of Plant & Machinery for Eco-Tourism.

(a) In the case of Houseboats, the entire houseboat project along with its fitting and furnishing should be treated as plant and machinery.

(b) In the case of hotel, resorts and guest houses (Laddakh only) , the investment in plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building. Therefore, building should also be included as a part of plant and machinery. Besides this, the items given at (c) below may be taken into account for calculating the value of plant and machinery

(c) An illustrative list of plant and machinery/equipment is given below:

1. Filtration plant for swimming pool.
2. Water purification plant.
3. Hot water boiler and room heating equipment (fixed)
4. Water softening plant
5. Fume extraction and ventilation plant.
6. Air conditioning plant.
7. Cold Storage equipment.
8. Laundry equipment.
9. Cooler and refrigeration equipment.
10. Bakery equipment
11. Sewage disposal plant
12. Electrical installations
13. Tents for camping
14. Kitchen equipment, cooking range, dish washer, working table.
15. Fire- fighting equipment (fixed)
16. Telephone equipment/exchange.
17. Lifts
18. Safe deposit lockers
19. Tube wells along with pumping sets and lines within the campus
20. Goods carrier exclusively needed for the hotel.
21. Projectors and other equipment's for conference hall (fixed).
22. Lighting equipment.
23. Adventure and water sports equipment's.

d) For adventure & leisure sports, amusement/entertainment parks, cable car, ropeways and spa, the entire cost of items and components (excluding land) essential for commissioning the project. Definition of admissible items under adventure & leisure sports etc. exclude additionalities such as conference room, auditorium etc.

ANNEXURE –IV

Composition of State Level Committee

1.	Secretary, Department of Industry & Commerce, J&K	Chairman
2.	Director, Industries and Commerce, Kashmir	Member Secretary*
3.	Director, Industries and Commerce, Jammu	Member Secretary*
4	Director, Accounts and Treasuries	Member
5.	MD, Jammu & Kashmir Development Finance Corporation	Member
6.	Financial Advisor/CAO, I&C Department	Member
7.	Nominee of DIPP	Member
8.	President, Federation Chamber of Industries, Kashmir	Member
9.	Chairman, Federation of Industries, Jammu,	Member

***As applicable**

ANNEXURE –V

Composition of Empowered Committee

1.	Secretary, DIPP	Chairman
2.	Secretary, D/o Expenditure	Member
3.	Representative of Planning Commission	Member
4.	Secretary of Ministry administratively concerned with the industrial activity of the claimant unit	Member
5.	Addl. Secretary & Financial Advisor, DIPP	Member
6.	Chief Secretary/Commissioner (Industry) Jammu & Kashmir	Member.
7.	MD, Jammu & Kashmir Development Finance Corporation	Member
8.	Joint Secretary DIPP	Member Secretary
9.	State representative of concerned Financial Institution	Member
10.	Chief Controller of Accounts, DIPP	Member

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013

फा.सं. 1(10)2012-एसपीएस. भारत सरकार जम्मू और कश्मीर पैकेज-II के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक विकास को तीव्र करने के मद्देनजर राज्य की औद्योगिक इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज राजसहायता की निम्नलिखित योजना को अधिसूचित करती है।

1. **संक्षिप्त नाम:- इस योजना को केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2012 कहा जाए।**

2. **योजना का प्रारम्भ और अवधि:- यह योजना 15 जून, 2012 से लागू होगी तथा 14.6.2017 तक प्रभाव में रहेगी।**

3. **योजना लागू होना :- यह योजना अनुबंध-I के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों की सभी नई औद्योगिक इकाइयों तथा अनुबंध- II के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर के विनिर्दिष्ट मुख्य उद्योगों पर भी लागू है। 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है कि वह औद्योगिक इकाई जिसने अपना वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन 15 जून, 2012 को अथवा इसके बाद शुरू किया है।**

4. **तथापि जम्मू और कश्मीर में वस्त्र क्षेत्र की किसी औद्योगिक इकाई के पास वस्त्र मंत्रालय की "प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना" (टीयूएफएस) के तहत अथवा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रशासित विशेष पैकेज के तहत राजसहायता के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।**

5. **<u>स्वीकार्य राजसहायता की सीमा:-</u>**

   जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को अनुसूचित बैंकों अथवा केन्द्रीय/राज्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्हें दिए गए औसत दैनिक कार्यशील पूंजी ऋण पर उत्पादन शुरू होने की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए 3% तक ब्याज राजसहायता दी जाएगी बशर्ते कि दावा करने वाली इकाई को एनपीए (अनर्जक परिसंपत्ति) के रूप में घोषित नहीं किया गया हो।

6. **पात्रता अवधि:- यह राजसहायता योजना अवधि के दौरान ऐसे पात्र औद्योगिक इकाईयों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि उपलब्ध होगी जिन्होने पूर्व-पंजीकरण करवा लिया हो तथा दिनांक 14.06.2017 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया हो। इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना दावा दायर करना चाहिए।**

7. **कोई भी इकाई केन्द्र सरकार की अथवा राज्य सरकार की योजना में से केवल एक की योजना के तहत राजसहायता प्राप्त कर सकती है। राजसहायता की मांग करने वाली इकाई को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसने समान प्रयोजन अथवा क्रियाकलाप के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से राजसहायता प्राप्त नहीं की है अथवा राजसहायता के लिए आवेदन नहीं किया है।**

8. **राजसहायता के लिए दावों का अनुमोदन निम्नवत् होगा :-**

   सचिव, उद्योग की अध्यक्षता वाली एक राज्य स्तरीय समिति राजसहायता संबंधी दावों को अनुमोदित करेगी। राज्य स्तरीय समिति का गठन संबंधी विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

9. **निषेध सूची**

   वे औद्योगिक इकाइयां जो निम्नलिखित उत्पादों का विनिर्माण करती हैं इस योजना के अंतर्गत राजसहायता हेतु पात्र नहीं होंगी।

i. **तंबाकू के सिगरेट/सिगार, तंबाकू एवं तंबाकू से विनिर्मित वस्तुएं, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आसवन/किण्वन और ब्रांड युक्त शीतल पेयों एवं उससे सान्द्रित उत्पादों का विनिर्माण।**

ii. **हथियार अथवा गोला बारूद।**

iii. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के तहत शामिल पान मसाला।**

iv. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 02.09.1999 की अधिसूचना का. आ. 705 अ तथा दिनांक 17.06.2003 का का.आ. 698 अ द्वारा विनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक की थैलियां।

10. <u>राजसहायता के संवितरण के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसी:</u>

जम्मू व कश्मीर विकास वित्त निगम (जेकेडीएफसी) राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर ब्याज राजसहायता के संवितरण के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसी होगी। जेकेडीएफसी केवल ईसीएस और आरटीजीएस प्रणाली के जरिए राजसहायता संवितरित करेगा।

11. <u>ब्याज राजसहायता का दावा करने हेतु प्रक्रिया:</u>

इस योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से पहले संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में अपना पंजीकरण कराएंगी। इस योजना के तहत राजसहायता का दावा करते समय इकाई के लिए ऋणदाता एजेंसी से अनुबंध-IV के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर राजसहायता दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

12. <u>ब्याज राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया:</u>

राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक मामले की जांच करेगी, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि राजसहायता प्रदान करने की अर्हता पूरी होती है अथवा नहीं तथा राजसहायता की मात्रा के बारे में भी निर्णय करेगी।

राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर जेकेडीएफसी द्वारा इकाई को राजसहायता संवितरित की जाएगी।

13. <u>केन्द्र/राज्य सरकार/जेकेडीएफसी के अधिकार:</u>

यदि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जेकेडीएफसी इस बात से संतुष्ट होती है कि औद्योगिक इकाई ने अनिवार्य तथ्यों की गलत प्रस्तुति द्वारा, झूठी सूचना देकर राजसहायता या अनुदान प्राप्त किया है अथवा इकाई ने इस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने के बाद पांच वर्ष के भीतर उत्पादन/प्रचालन बंद कर दिया है तो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जेकेडीएफसी संबंधित इकाई को सुनवाई का अवसर देकर उस इकाई को अनुदान या राजसहायता लौटाने को कह सकता है।

14. औद्योगिक इकाई के स्वामी को इस योजना के तहत आंशिक अथवा पूरा अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के पांच वर्ष के भीतर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/राज्य सरकार/जेकेडीएफसी की पूर्वानुमति के बिना औद्योगिक इकाई के स्थान में पूरी तरह अथवा उसके किसी भाग में बदलाव करने अथवा अपनी कुल अचल पूंजी निवेश के पर्याप्त भाग का पर्याप्त संकुचन या निपटान करने की अनुमति नहीं होगी।

15. इस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने वाली प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना तथा कार्य-स्थिति का 100 प्रतिशत वास्तविक सत्यापन राज्य सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के जरिए किया जाएगा। जिला उद्योग केन्द्र इकाइयों की कार्यप्रणाली के बारे में उद्योग निदेशालय और जेकेडीएफसी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात जेकेडीएफसी इस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों की कार्य प्रणाली के बारे में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुदान या राजसहायता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक औद्योगिक इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने के बाद पांच वर्ष की अवधि के दौरान किए गए अपने कार्यों के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी जिसकी एक प्रति जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम (जेकेडीएफसी) को भेजेगी।

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

मौजूदा औद्योगिक संपदा की सूची

कश्मीर प्रभाग

क्र. सं.	जिले का नाम	औद्योगिक संपदा का नाम
01.	श्रीनगर	बीएएमके (बागी अली मर्दन खान) जकुड़ा जैनकोट खोनमोह शलटैंग
02.	गांदरबल	दुदेरहामा गंडेरबल
03.	बड़गाम	बर्जुल्ला रंगरेथ
04.	अनंतनाग	अनंतनाग अंचिडोर बिजबेहर
05.	कुलगाम	कुलगाम
06.	पुलवामा	पुलवामा चटपोड़ा आईडीसा लस्सीपोड़ा
07.	शोपियां	गगरन
08.	बारामूला	बारामूला सोपोर फूड पार्क दोआबगाह
09.	बांदीपुरा	सुबंल
10.	कुपवाड़ा	ब्रानवाड़ा चोटीपोड़ा
11.	लेह	लेह फ्यांग खल्टसी
12.	कारगिल	चंचिक खुरबाठांग

कश्मीर प्रभाग में नई औद्योगिक संपदा (विकासाधीन)

01.	अनंतनाग	वेस्सु अनंतनाग शेस्टेरगम महमूदा बाग दुरु
02.	पुलवामा	टाकिया रजाक शाह त्राल खानमोह के निकट ख्रीव
03.	कुलगाम	अशमुजी कुलगाम मालवन कुलगाम कुलगाम फेज-II
04.	बड़गाम	रंगरेथ फेज-II ओम्पोड़ा

05	**कुपवाड़ा**	**चोटीपोड़ा** (हंडवाड़ा) **राडबघ**
06.	**शोपियां**	**अगलर**
07.	**बारामूला**	**बंगील तंगमार्ग**
08.	**लेह**	**फ्यांग** **खाल्टसी**
09.	**कारगिल**	**ख्रबाथंग** (चंग्राथंग)

औद्योगिक संपदा की सूची

जम्मू प्रभाग

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**पहचान की गई संपदा के नाम**
01.	**जम्मू**	**डिगिआना** **जम्मू कैंट** **गंगयाल** **बीरपुर** **बारीब्रहम्ना एवं ईपीआईपी करठोली** **अखनूर**
02.	**साम्बा**	**साम्बा** **आईजीसी साम्बा फेज**-III
03.	**ऊधमपुर**	**ऊधमपुर** एच डी बट्टल बिलियन
04.	**रियासी**	**रियासी** (ग्रान)
05.	**कठुआ**	**कठुआ** **हीरानगर** **बिल्लावर** **आईआईडी गोविंदसर** **सेरामिक्स इंडस्ट्रियल कंप्लेक्स**
06.	**राजौरी**	**खेओड़ा**
07.	**पुंछ**	**पुंछ**
08.	**किश्तवाड़**	**संग्रामबट**
09.	**डोडा**	**दांडी(भडेरवाह)**

जम्मू प्रभाग में नई औद्योगिक संपदा (विकासाधीन)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**औद्योगिक संपदा का नाम**
01.	**कठुआ**	**घट्टी** **गोविंदसर फेज** I-II **डंबरा बिल्लावर** **हीरानगर** (चाक बुलानंदा)
02.	**राजौरी**	**ठंडी पानी** (रेशम क्लस्टर) **लंबेरी**
03.	**ऊधमपुर**	**मजल्टा**

04.	**डोडा**	**बेओली**
05	**रियासी**	**निंब**
06.	**पुंछ**	**सुरंकोट**
07.	**साम्बा**	**आईजीसी साम्बा फेज-III**

अनुबंध-II

जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति के तहत शामिल किए गए मुख्य उद्योग

क्र.सं.	**क्रियाकलाप/उद्योग**
1	**खाद्य प्रसंस्करण/कृषि आधारित उद्योग** **क. चटनियां, कैचप आदि** **ख. फलों का रस तथा फलों का गूदा** **ग. जैम, जैली, सब्जियों का रस, प्यूरे, अचार आदि** **घ. ताजे फलों का प्रसंस्करण, फल वर्धन, पैकिंग, श्रेणीकरण** **ङ.आटे की चक्की तथा चावल-मिल** **च. मसाले पीसना** **ज. दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों का पाश्चरीकरण/प्रसंस्करण**
2	**चमड़ा प्रसंस्करण तथा चमड़े की वस्तुएं**
3	**ऊतक संवर्धन और मशरूम संवर्धन, खाद बनाना, डेयरी फार्मिंग**
4	**सिल्क रीलिंग, यार्न और रेशम के अपशिष्ट से यार्न स्पन, रेशम या रेशम के अपशिष्ट से बुना हुआ कपड़ा।**
5	**ऊन तथा ऊन का बुना हुआ कपड़ा, ऊनी कंबल बनाना।**
6	**सूत का बुना हुआ कपड़ा**
7	**पुष्पकृषि, सुगन्धित और औषधीय पौधे का प्रसंस्करण, ग्रीन हाउस।**
8	**कम्प्यूटर हार्डवेयर/इलैक्ट्रॉनिक्स (इंटीग्रेटिड सर्किट एवं माइक्रो असेम्बलीज)**
9	**खेल-कूद का सामान एवं वस्तुएं तथा सामान्य शारीरिक व्यायाम के उपकरण**
10	**ऑटो एन्सलेरी।**
11	**खनिजों की खोज तथा खनिज आधारित उद्योग। जिप्सम, चिप बोर्ड सहित प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्रेनाइट एवं मार्बल कटिंग और फिनिशिंग, रत्नों की कटिंग और पॉलिशिंग तथा आभूषण बनाना।**
12	**पारिस्थितिकी पर्यटन:- होटल, हाउसबोट, रिजॉर्ट, साहसिक तथा आरामदेह खेल, मनोरंजन पार्क, केबल कार, गेस्ट हाउस।**
13	**हस्तशिल्प और हथकरघा**
14	**सूक्ष्म इंजीनियरिंग**
15	**पैकिंग उद्योग :- चिपकने वाले टेप, स्ट्रेपिंग रोल, पेट बोतल कार्ड बोर्ड कॉरूगेटिड बॉक्स, प्लास्टिक कंटेनर कैप, एचडीपीई बोतल, ड्रम, बैरल, कैन, बोतलों के लिए आरओपीपी कैप, बुने हुए बोरे (वूवन सैक), एचडीपीई फैब्रिक जैसी मदें।**
16	**मिनरल वॉटर को बोतलबंद करना।**
17	**नोट बुक, पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स आदि जैसा स्टेशनरी का सामान।**
18	**लकड़ी आधारित उद्योग:- प्लाइवुड/प्लाइ बोर्ड/कोर वनीर/पेंसिल ब्लॉक/स्लेट्स/जॉइनरी/फर्नीचर/पैनलिंग का विनिर्माण**

अनुबंध-III

राज्य स्तरीय समिति का गठन

1.	**सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू एवं कश्मीर**	**अध्यक्ष**
2.	**निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य, कश्मीर**	**सदस्य सचिव***
3.	**निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य, जम्मू**	**सदस्य सचिव***
4.	**निदेशक, लेखा एवं कोष**	**सदस्य**
5.	**प्रबंध निदेशक, जम्मू एवं काश्मीर विकास वित्त निगम**	**सदस्य**
6.	**वित्तीय सलाहकार/सीएओ, आईएण्डसी विभाग**	**सदस्य**
7.	**औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के नामिती**	**सदस्य**
8.	**प्रेसिडेन्ट, फेडरेशन चैम्बर आफ इंडस्ट्रीज**	**सदस्य**
9.	**अध्यक्ष, उद्योग परिसंघ, जम्मू**	**सदस्य**

***जैसा लागू हो**

अनुबंध-IV

प्रारूप

अनुसूचित बैंकों/केंद्रीय अथवा राज्य वित्तीय संस्थाओं का प्रमाण-पत्र सह-सिफारिश।

(जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2007 के अंतर्गत ब्याज राजसहायता का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पत्र शीर्षों (लेटर हेड) पर दिए जाएं)

जिस किसी से संबंधित हो

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ---------- (औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता) (इसके बाद इसे औद्योगिक इकाई कहा गया है) को हमारे बैंक अर्थात ---------- (बैंक का नाम एवं पता) ने दिनांक (---------) के अपने बैंक मंजूरी पत्र सं.---------- के तहत दिनांक ---------- से ----------की अवधि के लिए संबंधित इकाई की कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए ऋण सीमा के तौर पर संदर्भित) की तौर पर ---------- रू. (राशि आंकड़ों में) [--------- रू. (राशि शब्दों में)] की धनराशि मंजूर की गई थी।

औद्योगिक इकाई द्वारा ऋण सीमा में से दिनांक -------- से --------- की अवधि के दौरान किसी विशेष दिन को आहरण की गई अधिकतम वास्तविक राशि ---------- रू. (राशि आंकड़ों में) [-------- रू. (राशि शब्दों में)] तथा उपर्युक्त अवधि के लिए औसतन दैनिक आहरण -------- रू. (-------रू.) है। कार्यशील पूंजी उपयोगिता पर बैंक द्वारा लिया जाने वाला कुल ब्याज ---------- रू. (राशि आकड़ों में) [---------- रू.] (राशि शब्दों में) है जो कि ---------- % वार्षिक की दर से लिया जाता है।

हमारे रिकार्डों और औद्योगिक इकाई द्वारा भेजी गई सामग्री की जांच किए जाने पर यह प्रमाणित किया जाता है कि अप्रयुक्त ओवरड्राफ्ट, सावधि जमा, स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अग्रिम, मालिकों/साझेदारों तथा एच.यू.एफ. के निदेशकों/सदस्यों द्वारा ऋण तथा अग्रिम, ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण तथा निवेशों को कार्यशील पूंजी उपयोगिता में शामिल नहीं किया गया है तथा ऋण सीमा में से किए गए समस्त आहरण को उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया गया है जिनके लिए इनकी मंजूरी दी गई थी और इस औद्योगिक इकाई ने "निधियों का अन्यत्र उपयोग" और/अथवा "निधियों का अवैध अंतरण" कुछ नहीं किया है।

अत: यह सिफारिश की गई है कि यह औद्योगिक इकाई दिनांक ---------- से----------तक की अवधि के लिए केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना के अंतर्गत 3% वार्षिक की दर से ---------- रू. (राशि अंकों के) [---------- रू. (राशि शब्दों में)] की ब्याज राजसहायता प्रदान किए जाने के लिए पात्र है।

दिनांक: बैंक प्रबंधक के हस्ताक्षर

नाम ( )

सरकारी मोहर

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2013.

F.No.1(10)2012-SPS. The Government of India is pleased to notify the following scheme of Interest Subsidy on Working Capital Loan for Industrial units in the state of Jammu & Kashmir as J&K Package-II with a view to accelerating the industrial development in the state.

1. Short Title:- This scheme may be called the Central Interest Subsidy Scheme, 2012.

2. Commencement and duration of the Scheme:-It will come into effect from the 15th June, 2012 and remain in force upto and inclusive of 14.06.2017.

3. Applicability of the Scheme:-The scheme is applicable to all new industrial units in notified areas as per **Annexure-I** and also to specified Thrust Industries outside the notified areas as per **Annexure-II.'New Industrial Unit'** means an industrial unit which commence commercial production/operation on or after 15th June 2012.

4. However an industrial unit in Textile sector in Jammu & Kashmir would have choice to apply for subsidy either under "Technology Upgradation Fund Scheme" (TUFS) of Ministry of Textile or under the Special Package administered by DIPP.

5. Extent of admissible subsidy:

All eligible industrial units in the state of Jammu & Kashmir shall be given an interest subsidy to the extent of 3% on the average of actual daily Working Capital loan given to them by the Scheduled Banks or Central/State financial institutions, for a maximum period of five years, from the date of commencement of commercial production/operation provided that the claimant unit has not been declared as NPA (Non-Performing Asset).

6. Eligibility period: The subsidy will be available for the duration of the scheme to such industrial units, which have pre-registered and commence commercial production / operation before 14-06-2017, for a period of five years from date of commencement of commercial production / operation. The unit should file its claim as per prescribed procedure at District Industry Centre concerned within one year from the date of commencement of commercial production / operation.

7. A unit can avail subsidy only under a single scheme, either from the Central Government or from the State Government. A unit seeking subsidy should certify that it has not obtained or applied for subsidy for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government.

8. The approval of the claims for subsidy will be as follows:

A State Level Committee headed by Secretary, Industry will approve claims for subsidy. The composition of the State Level Committee is at **Annexure-III**.

9. Negative list

The industrial units which manufacture the under mentioned products will not be eligible for subsidyunder this Scheme.

(i) Cigarettes/cigars of tobacco, manufactured tobacco and substitutes, distillation/brewing of alcoholic drinks and manufacture of branded soft drinks and its concentrates.

(ii) Weapon or ammunition.

(iii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).

(iv) Plastic Carry bags of less than 20 microns as specified by Ministry of Environment & Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02-09-1999 and S.O.698(E) dated 17-06-2003.

10. Designated Agency for disbursement of Subsidy:

Jammu Kashmir Development Finance Corporation (JKDFC) shall be the designated agency for disbursement of interest subsidy on the basis of the recommendation of the state Government. JKDFC will disburse subsidy through ECS and RTGS system only.

11.Procedure for claiming Interest Subsidy:

Industrial units eligible for subsidy under the scheme will get themselves registered with the District Industry Centre concerned prior to the date of commencement of commercial production / operation. The unit is required to submit a certificate from the lending agency as per the **Annexure-IV** at the time of claiming of the subsidy under the scheme. The claim of subsidy shall be submitted by industrial units within one year of the date of commencement of commercial production / operation.

12. Procedure for disbursement of Interest Subsidy:

The State Level Committee would examine each case to decide whether it qualifies for the grant of subsidy and also about the quantum of subsidy.

The subsidy will be disbursed to the unit by JKDFC on the recommendation of the State Level Committee.

13. Rights of the Central/State Government/JKDFC:

If the Central Government/State Government/JKDFC is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation of the essential facts, furnishing of false information or if the unit goes out of commercial production/operation within 5 years after having availed the subsidy under the scheme, the Central Government/State Government/JKDFC may ask the unit to refund the grant or subsidy after giving opportunity to the concerned to be heard.

14. No owner of an industrial unit will be allowed to change the location of the whole or any part of the industrial unit or effect any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment

within a period of 5 years of receiving a part or the whole of the grant or subsidy under the scheme without taking prior approval of the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion/State Government/JKDFC.

15.100%physical verification of the actual establishment and working status of each of the units availing subsidy under the scheme will be done by State Government through District Industries Centres. Districts Industries Centres shall submit annual report to the Directorate of Industries and JKDFC about the functionality of the units. JKDFC shall thereafter submit annual report to the Department of Industrial Policy and Promotion about the functionality of the units availing subsidy under the scheme. After receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall also submit Annual Progress Report to the State Government with a copy to Jammu & Kashmir Development Finance Corporation (JKDFC) about its working for a period of 5 years after going into commercial production / operation.

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

ANNEXURE-I
List of Existing Industrial Estates.
Kashmir Division

Sl. No..	Name of District	Name of Industrial Estate
01.	Srinagar	BAMK (Bagi Ali Mardan Khan Zakura Zainkote Khonmoh Shaltaing
02.	Ganderbal	DuderhamaGanderbal
03.	Budgam	Barzulla Rangreth
04.	Anantnag	Anantnag Anchidora Bijbehara
05.	Kulgam	Kulgam
06.	Pulwama	Pulwama Chatpora IDC Lassipora
07.	Shopian	Gagran
08.	Baramulla	Baramulla Sopore Food Park Doabgah
09.	Bandipora	Sumbal
10.	Kupwara	Branwara Chotipora
11.	Leh	Leh Phyang Khaltsi
12.	Kargil	Chanchik Khurbathang

New Industrial Estates (Under Development) in Kashmir Division.

01.	Anantnag	VessuAnantnag ShestergamMehmoodaBaghDuru
02.	Pulwama	TakiaRazak Shah Tral Khrew near Khanmoh
03.	Kulgam	AshmujiKulgam MalwanKulgam Kulgam Phase II
04.	Budgam	Rangreth Phase-II Ompora
05	Kupwara	Chotipora (Handwara) Radbugh
06.	Shopian	Aglar

07.	Baramulla	BangilTangmarg
08.	Leh	Phyang Khaltsi
09.	Kargil	Khrbathang (Changrathang)

List of Industrial Estates
Jammu Division

Sl.No.	Name of District	Name of Identified Estate
01.	Jammu	Digiana Jammu Cantt. Gangyal Birpur Baribrahmna& EPIP Kartholi Akhnoor
02.	Samba	Samba IGC Samba Phase-III
03.	Udhampur	Udhampur H D BattalBallian
04.	Reasi	Reasi (Gran)
05.	Kathua	Kathua Hiranagar Billawar IID Govindsar Ceramix Ind. Complex
06.	Rajouri	Kheora
07.	Poonch	Poonch
08.	Kishtwar	Sangrambata
09.	Doda	Dandi (Bhaderwah)

New Industrial Estates (Under Development) in Jammu Division

Sl.No.	Name of District	Name of Industrial Estate
01.	Kathua	Ghatti Govindsar Phase I-II DambraBillawar Hiranagar (ChakBulananda)
02.	Rajouri	ThandiPani (Silk Cluster) Lamberi
03.	Udhampur	Majalta
04.	Doda	Beoli
05	Reasi	Nimba
06.	Poonch	Surankote
07.	Samba	IGC Samba Phase-III

ANNEXURE –II
Thrust Industries included under J&K Industrial Policy

Sl.No.	Activity /Industry
1.	**Food processing /Agro based Industries :-** a. Sauces, Ketchup etc. b. Fruit juices and Fruit pulp c. Jams, Jellies, Vegetable Juices, Puree, pickles etc. d. *Processing of fresh fruits,* Fruit waxing, packing, grading. e. *Flour mills and Rice Mills.* *f. Spice grinding.* *g. Pasteurization/Processing of milk and other dairy products.*
2.	**Leather** processing and Leather goods.
3.	**Tissue culture** and ***Mushroom*** *culture, Compost making , Dairy farming.*
4.	**Silk** reeling, yarn and yarn spun from silk waste, Woven fabrics of silk or silk waste.
5.	**Wool** and woven fabrics of wool, *Manufacturing of woolen blanket.*
6.	**Woven fabrics of cotton.**
7.	**Floriculture**, Processing of Aromatic and medicinal plant, **Green house.**
8.	**Computer hardware /** Electronics (integrated circuit and micro assemblies).
9.	**Sports goods** and articles and equipment for general physical exercise.
10.	**Auto ancillaries**.
11.	**Exploration of minerals** and *minerals based industry. Gypsum, Plaster of Paris with chip boards, Granite and Marble cutting and finishing, cutting and polishing of gems and making of jewellary.*
12.	**Eco tourism** :- Hotels, Houseboats, Resorts, Adventure and leisure sports, Amusement parks, Cable car, Guest houses.
13.	**Handicrafts and *Handlooms.***
14.	**Precision engineering.**
15.	***Packing industry*** *:-items like adhesive tapes, strapping rolls, pet bottles, Card board corrugated boxes, plastic container caps, HDPE bottles, drums, barrels, cans, ROPP caps for bottles, Woven sacks, HDPE fabric.*
16.	***Bottling of mineral water.***
17.	***Stationery items*** *like note book, Pen, Pencils, Erasers, Sharpeners, Geometry boxes etc.*
18.	***Wood based industry*** *:- Manufacturing of plywood / Ply board / Core veneer / Pencil Blocks / Slates/ Joinery / Furniture / Paneling.*

ANNEXURE –III

Composition of State Level Committee

1.	Secretary, Department of Industry & Commerce, J&K	Chairman
2.	Director, Industries and Commerce, Kashmir	Member Secretary*
3.	Director, Industries and Commerce, Jammu	Member Secretary*
4	Director, Accounts and Treasuries	Member
5.	MD, Jammu & Kashmir Development Finance Corporation	Member
6.	Financial Advisor/CAO, I&C Department	Member
7.	Nominee of DIPP	Member
8.	President, Federation Chamber of Industries, Kashmir	Member
9.	Chairman, Federation of Industries, Jammu,	Member

***As applicable**

Annexure-IV

Proforma

Certificate cum Recommendation of Scheduled Banks/Central or State Financial Institutions.

(Certificate to be given on letterhead of banks / Financial Institutions for claiming interest subsidy under Central Interest Subsidy Scheme 2002 for the state of J&K.)

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that M/s._____ (Name and address of the Industrial Unit) had been sanctioned an amount of Rs._____ (amount in figures) [Rupees _____ _____] (amount in words) as credit limit (hereinafter referred to as Credit Limit) towards its working capital requirement by our bank i.e. _____(Name and address of the bank) for the period from _____ to _____ vide this bank sanction letter No. _____ dated _____.

The maximum actual drawl by the Industrial unit on any particular day during the period from ---------- to ----------, against the credit limit is Rs. ----------(amount in figure) (Rupees ----------) (amount in words) and the average daily drawl for the above mentioned period is Rs. ----------(Rupees----------)(amount in words). The total interest charged by the bank on working capital utilization is Rs. ---------- Rupees ----------) (amount in words) which is @-----% per annum.

Having examined out record and the materials furnished by the industrial Unit, this is to certify that unused overdraft, fixed deposit, advance for acquisition of fixed assets, loan and advances by proprietors/partners, directors/Members of HUF, long terms loans including interest thereon and investments, have not formed part of the working capital utilization and that all drawls against the Credit Limits have been utilized for the purpose for which they were sanctioned and there has been no 'diversion of funds and/or " siphoning of funds" by the Industrial Units.

It is therefore recommended that the industrial unit is eligible for grant of 3% per annum interest subsidy of Rs._____ (amount in figures) [Rupees _____ _____ (amount in words) under the Central Interest Subsidy Scheme 2002 for the period from---------- to ----------.

Date:

Signature of the Bank Manager
Name ( )
Official Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013

फा.सं. 1(10)2012-एसपीएस. भारत सरकार जम्मू और कश्मीर पैकेज-II के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक विकास को तीव्र करने के मद्देनजर राज्य की औद्योगिक इकाइयों के लिए निम्नलिखित व्यापक बीमा राजसहायता योजना बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम:- इस योजना को केंद्रीय व्यापक बीमा राजसहायता योजना, 2012 कहा जाए।

2. प्रारम्भ और अवधि:- यह योजना 15 जून, 2012 से लागू होगी तथा 14.6.2017 तक लागू रहेगी।

3. (i) लागू होना:- यह योजना सभी नई औद्योगिक इकाइयों तथा इसके बाद व्यापक विस्तार करने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू है।

(क) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ एक ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने 15 जून, 2012 को अथवा उसके बाद वाणिज्य उत्पादन/प्रचालन आरम्भ कर दिया है।

(ख) 'विद्यमान औद्योगिक इकाई' का अर्थ एक ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने 15 जून, 2012 से पहले वाणिज्य उत्पादन/प्रचालन आरम्भ कर दिया है।

(ii) पात्रता:- यह राजसहायता, योजना अवधि के दौरान ऐसी औद्योगिक इकाइयों के लिए वाणिज्य उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगीं जो पूर्व पंजीकृत हैं और जिन्होंने 14.6.2017 से पहले वाणिज्य उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया है। इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर संबंधित जिला उद्योग केंद्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना दावा दायर करना चाहिए। राजसहायता की पूर्ववर्ती योजना के तहत दिनांक 15.6.2012 से पहले पंजीकृत तथा वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर दावे दायर करने वाले औद्योगिक इकाइयां पूर्ववर्ती योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र होंगी। दिनांक 15.6.2012 के बाद पंजीकृत होने वाली इकाइयां वर्तमान योजना के तहत आएंगी। तथापि यदि ऐसी इकाई मध्यवर्ती अवधि के दौरान पैकेज न होने के कारण डीआईसी (जिला उद्योग केन्द्र) में पंजीकृत नहीं होती है या वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं करती है तो वह इकाई 31 दिसम्बर, 2013 के बाद ऐसा नहीं कर सकती है।

(iii) स्वीकार्य राजसहायता की सीमा:- विस्तारित 100% सीमा तक बीमा राजसहायता सभी नई औद्योगिक इकाइयों तथा अनुबंध-I के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में व्यापक विस्तार करने वाली विद्यमान इकाइयों तथा अनुबंध-II के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर विनिर्दिष्ट मुख्य उद्योगों के लिए भी पैकेज के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमन्य होगी।

4. औद्योगिक इकाई की परिभाषा:- कोई उद्योग जो कि अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार अग्नि पालिसी 'ग' में शामिल हो।

5. बीमाकृत राशि का निर्धारण:- यह पालिसी बीमा कंपनी द्वारा बाजार मूल्यांकन के अनुसार जारी की जाएगी।

6. 'व्यापक विस्तार' का अर्थ है कि किसी औद्योगिक इकाई की क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के प्रयोजनार्थ संयंत्र तथा मशीनरी में अचल पूंजी निवेश के मूल्य में 25% से अधिक की वृद्धि।

7. प्रचालन का तरीका:- इस स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित बीमा पालिसी अनुबंध-क में दर्शाए के अनुसार होगी।

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध-क

जम्मू-कश्मीर में किसी औद्योगिक इकाई के लिए व्यापक बीमा पालिसी

''यहां पर अनुसूची में नामित बीमाकृत, जिसने.....बीमा कंपनी लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा गया है) को उक्त अनुसूची में उल्लिखित प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, पर विचार करते हुए कंपनी सहमत होती है (इसमें निहित शर्तों तथा अपवर्जनों अथवा पृष्ठांकित अथवा अन्यथा व्यक्त के अध्यधीन) कि प्रीमियम के भुगतान के बाद उक्त अनुसूची में वर्णित यदि बीमाकृत संपत्ति अथवा इसी संपत्ति का कोई भाग निम्नलिखित के द्वारा नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होता है:-

i. **आग**

ii. **बिजली गिरना**

iii. **विस्फोट/अंत:स्फोट परंतु निम्नलिखित की हानि अथवा क्षति को छोड़कर**

(क) **बायलरों (घरेलू बायलरों को छोड़कर) इकोनोमाइजरों अथवा अन्य बर्तनों, मशीनरी अथवा उपकरणों जिनमें भाप बनती है अथवा उनके अंश जिनके परिणामस्वरूप उनका विस्फोट/ अंत: विस्फोट होता है,**

(ख) अपकेंद्रीय बल के कारण।

iv. **दंगा, हड़ताल, द्वेषपूर्ण कार्य तथा आतंकवादी नुकसान दंगा हड़ताल के अनुसार, द्वेषपूर्ण कार्य तथा आतंकवादी नुकसान मुद्रित खंड में।**

v. **रेल/सड़क वाहन अथवा पशु द्वारा टक्कर**

vi. **विमान अथवा आकाशीय तथा/अथवा अंतरिक्ष मशीन तथा/अथवा उनसे गिरने वाली कोई चीज, ऐसी मशीनों द्वारा दबाव लहरों की वजह से विनाश अथवा नुकसान को छोड़कर,**

vii. **तूफान, चक्रवात, बवंडर, समुद्री तूफान, हेरीकेन, टोरनाडो, बाढ़ तथा जल सैलाब।**

viii. **जमीन धंसने तथा भूस्खलन (चट्टानों के फिसलने समेत) जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भवन अथवा उसका कोई भाग गिर जाता है।**

ix. **भूकंप आगजनी बिजली का आघात लगना।**

उक्त अनुसूची में नामित बीमा अवधि के दौरान अथवा कोई अन्य उत्तरवर्ती अवधि जिसके संबंध में बीमाकृत भुगतान करेगा तथा कंपनी ने बीमा पालिसी के नवीकरण हेतु अपेक्षित प्रीमियम स्वीकार कर लिया हो, कंपनी इसके नष्ट हो जाने पर बीमाकृत को, संपत्ति की कीमत अथवा ऐसी संपत्ति अथवा उसके किसी भाग को फिर से स्थापित करने अथवा बहाल करने के अपने विकल्प पर भुगतान करेगी।

बशर्ते कि कंपनी की देयता बीमा की जानी वाली उक्त अनुसूची में राशियों द्वारा व्यक्त मद अथवा कुल मिलाकर वहां पर बीमाकृत कुल राशि अथवा ऐसी अन्य राशि अथवा कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से प्रतिस्थापित अथवा कंपनी की तरफ से यहां संलग्न राशियों के मामले में अधिक नहीं होगी।"

दंगा, हड़ताल, द्वेषपूर्ण तथा आतंकवादी क्षति खंड

इस पालिसी में दंगा, हड़ताल, द्वेषपूर्ण तथा आतंकवादी क्षति निम्नलिखित रूप से शामिल है:-

I. **बाहरी हिंसा द्वारा नुकसान अथवा दृश्यमान भौतिक नुकसान का अर्थ है बीमाकृत संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित हुई हो:**

1) **किसी सार्वजनिक शांति भंग करने में अन्यों के साथ किसी व्यक्ति का भाग लेने का कार्य (किसी हड़ताल अथवा तालाबंदी अथवा तालाबंदी नहीं होने के मामले में) जो अपवर्जन 7 (क), (ख) में उल्लिखित घटना नहीं हो।**

2) **किसी ऐसी अशांति को दबाने अथवा किसी ऐसी अशांति के परिणाम को न्यूनतम करने के लिए इसे दबाने का प्रयास करने में किसी कानूनी रूप से वैध गठित प्राधिकारी का कार्य।**

3) **हड़ताल को जारी रखने अथवा तालाबंदी के विरोध के फलस्वरूप किसी हड़ताली अथवा तालाबंदी करने वाले के मनमर्जी के कार्य से बाहरी हिंसात्मक कार्यों से दृश्यमान भौतिक क्षति।**

4) **ऐसे किसी कार्य को रोकने अथवा रोकने का प्रयास करने अथवा ऐसे किसी कार्य के प्रभाव को कम करने के लिए कानूनी रूप से गठित प्राधिकारी की कार्रवाई।**

5) किसी व्यक्ति का द्वेषपूर्ण कार्य परंतु किसी प्रकार की छूट हो जाने को छोड़कर (लोक शांति को भंग करते समय ऐसा कार्य किया हो अथवा नहीं) बशर्ते कि कंपनी उठाई गिरी, घर में सेंध लगाने, चोरी अथवा चौर्यकर्म अथवा इसमें भाग लेने वाले किसी व्यक्ति किसी प्रयास से होने वाले किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

II. विस्फोट अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष कारण से बीमित संपत्ति की हानि अथवा क्षति।

1. किसी संगठन से जुड़े होने अथवा संगठन की तरफ से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा किया गया आतंकवादी कार्य।

2. किसी आंतकवादी करतूत को दबाने अथवा दबाने का प्रयास करने अथवा आंतकवाद की वजह से होने वाले परिणाम का शमन करने में किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकारी की कार्रवाई।

इस प्रयोजन के लिए ''आतंकवाद'' खंड का मतलब होगा राजनीति स्वार्थ के लिए हिंसा करना तथा इसमें जनता को डराने अथवा जनता के किसी वर्ग को डराने के प्रयोजन से हिंसा का इस्तेमाल करना शामिल है।

<u>अपवर्जन</u>

इस बीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं है

1. दंगा, हड़ताल तथा द्वेषपूर्ण कार्य क्षति खंड में उल्लिखित को छोड़कर किसी बीमाकृत संकट की घटना के दौरान अथवा इसके बाद हुई चोरी से हानि।
2. किसी गर्म करने अथवा सुखाने वाली प्रक्रिया के दौरान संपत्ति को हुई हानि अथवा उसका नुकसान।
3. निम्नलिखित के कारण अथवा इसके माध्यम से अथवा इसके परिणामस्वरूप हुई हानि अथवा क्षति
   क.किसी लोक प्राधिकारी के आदेश पर संपत्ति जलाने पर
   ख.भूमिगत अग्नि
4. परमाणु हथियार सामग्री की वजह से अथवा इसके पैदा होने से अथवा इसके परिणामस्वरूप अथवा इसके कारण हुई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्षति।
5. आण्विक ईंधन अथवा आण्विक ईंधन के जलने से किसी आण्विक कूड़ा-करकट की वजह से आयनित विकिरण अथवा रेडियोधर्मिता की वजह से संदूषण अथवा इसके पैदा होने अथवा इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि अथवा क्षति। केवल इस अपवर्जन के प्रयोजनार्थ, दहन में परमाणु विखंडन की स्वत: प्रक्रिया शामिल होगी।
6. अत्यधिक प्रचालन, अत्यधिक दबाव, तारों में आग लगने, चिंगारी निकलने, अपने-आप गरम होने अथवा रिसाव अथवा विद्युत, किसी भी कारण से (बिजली गिरने सहित) किसी विद्युत मशीन, औजार, फिक्स्चर अथवा फिटिंग (बिजली के पंखे, बिजली का घरेलू समान अथवा घरेलू अन्य उपकरण, बेतार सेट, टेलिविजन सेट तथा रेडियो) अथवा विद्युत अधिष्ठापन अथवा इसके किसी भाग को हुई क्षति अथवा हानि बशर्ते कि यह छूट केवल विशेष विद्युत मशीन, उपकरण, फिक्स्चर, फिटिंग अथवा इस प्रकार से प्रभावित विद्युत अधिष्ठापन अथवा इसके किसी भाग के लिए ही लागू होगी और किसी अन्य मशीन, औजार फिक्चर, फिटिंग अथव विद्युत अधिष्ठापन किसी भाग, जिसे आग द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, पर लागू नहीं होगी।
7. निम्नलिखित घटना के कारण अथवा उसके माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम की वजह से हुई हानि या क्षति;
   (क) युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई अथवा युद्ध जैसी कार्रवाई (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), गृह युद्ध,
   (ख) विद्रोह, लोकप्रिय आंदोलन अथवा इसका भाग बनने वाला नागरिक बलवा, सैन्य विद्रोह, बगावत, विप्लव, सैन्य अथवा सत्ता का अनधिकृत कब्जा।

किसी कार्रवाई, मुकदमा अथवा अन्य कार्यवाही में जिसमें कंपनी का आरोप हो कि उपर्युक्त अपवर्जन के प्रावधानों के कारण हुई किसी क्षति अथवा हानि इस बीमा में शामिल नहीं है, ऐसी किसी क्षति अथवा हानि को सिद्ध करने का भार बीमाकृत पर होगा।

8. जब तक कि पालिसी में अन्यथा स्पष्टत: उल्लेख नहीं किया हो, सोनाचांदी अथवा बिना जड़े रत्न-, कीमती पत्थरों, कोई कलाकृति अथवा कलाकारी, जो -/1000 रुपए से अधिक की हो, पाण्डुलिपि, योजनाएं, रेखाचित्र के नमूने, मॉडल अथवा सांचा, प्रतिभूतियां, दायित्व अथवा किसी तरह का दस्तावेज, डाक टिकट, सिक्का अथवा रुपया, चेक, लेखाबही अथवा अन्य व्यापार लेखाबही, कंप्यूटर सिस्टम रिकार्ड, विस्फोटक आदि की क्षति अथवा हानि।

9. 60 दिन से अनधिक समयावधि के लिए मरम्मत, साफ-सफाई नवीकरण अथवा ऐसे ही किसी प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से हटाए गए उपस्करों और मशीनरी को छोड़कर यदि बीमाकृत संपत्ति इसमें उल्लिखित बीमाकृत के अलावा किसी अन्य भवन अथवा जगह पर ले जाई जाती है।

<u>इस बीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं है</u>

(क) कमाई की हानि, विलंब की वजह से हानि, बाजार अथवा अन्य परिणामी अथवा अप्रत्यक्ष हानि अथवा किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की हानि या क्षति ।

(ख) काम के आंशिक अथवा पूरी तरह से रुक जाने अथवा किसी प्रक्रिया अथवा किसी प्रचालन के धीमा हो जाने अथवा बाधित हो जाने अथवा बंद हो जाने अथवा किसी प्रकार की चूक से हानि अथवा नुकसान।

ग) विधिसम्मत गठित प्राधिकरण द्वारा कुर्की मांग अथवा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप स्थायी अथवा अस्थायी बेदखली से हुई हानि अथवा क्षति।

घ) ऐसे भवन अथवा संयंत्र अथवा इकाई अथवा मशीनरी अथवा उसकी पहुंच के निवारण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा वैध तरीके से कब्जे में लेने के परिणामस्वरूप किसी भवन अथवा संयंत्र अथवा इकाई अथवा मशीनरी के स्थायी अथवा अस्थायी बेदखली से हुई हानि अथवा क्षति।

बशर्ते कंपनी ने फिर भी बेदखली से पहले अथवा अस्थायी बेदखली के दौरान संपत्ति की वास्तविक क्षति के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति के ऊपर उपर्युक्त (ग) अथवा (घ) के तहत कोई देयता नहीं लगाई है।

<u>शर्तें</u>

1. गलत अभ्यावेदन, गलत विवरण अथवा किसी सामग्री विशेष के खुलासा नहीं करने की स्थिति में यह पालिसी अमान्य हो जाएगी।

2. इस पालिसी के तहत सभी बीमा किसी भवन अथवा उसके किसी हिस्से अथवा संपूर्ण भवन अथवा भवन की किसी परिसर के हिस्से अथवा इस प्रकार के भवन की आकृति बनाने वाले किसी ढांचे के हटाए जाने की तारीख से सात दिनों के बाद समाप्त हो जाएंगे।

   बशर्ते कि इस तरह गिराना अथवा हटाया जाना उस बीमाकृत व्यक्ति की जोखिम हानि अथवा क्षति से न हुए हों, जो पालिसी में शामिल है अथवा यदि ऐसा भवन, भवन परिसर अथवा ढांचा इस पालिसी के तहत बीमाकृत होता तो उसमें शामिल होता। उपर्युक्त के बावजूद कंपनी इस तरह गिराने अथवा हटाए जाने के 7 दिनों के भीतर जितना जल्दी हो सके इस संबंध में लिखित में पुष्टि करते हुए और संशोधित दरों, निबंधन शर्तों, जो कि इसके द्वारा निर्धारित की जाएं, के अध्यधीन स्पष्ट नोटिस दिए जाने पर बीमा जारी रखने के लिए सहमत हो सकती है।

3. बीमाकृत व्यक्ति के अनुरोध पर बीमा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, ऐसे मामले में कंपनी इस पालिसी के लागू रहने के समय के लिए साधारण अल्प अवधि दर पर प्रीमियम बनाए रखेगी । कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देकर कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय इस बीमा को समाप्त भी किया जा सकता है, ऐसे मामले में कंपनी मांग किए जाने पर बीमा निरस्त किए जाने की तारीख से जब तक बीमा पूरा होता उस अवधि तक समानुपात प्रीमियम के लिए उत्तरदायी होगी।

4. (1) किसी हानि अथवा क्षति के होने पर बीमाकृत व्यक्ति तत्काल कंपनी को इसकी सूचना देगा और हानि अथवा क्षति के 15 दिनों के भीतर अथवा इस संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त समय के भीतर दी गई अनुमति के अनुसार कंपनी को नोटिस भेज देगा।

(क) हानि अथवा क्षति के लिए लिखित दावे में विशिष्ट रूप से विवरण दिया हो, जिसमें क्रमश: अनेक वस्तुओं अथवा मदों अथवा संपत्ति क्षति अथवा नष्ट होने का समुचित उल्लेख हो और किसी प्रकार के लाभ को शामिल नहीं करते हुए हानि अथवा क्षति के समय उनके मूल्य को ध्यान में रखते हुए राशि का उल्लेख किया गया हो।

(ख) यदि कोई और बीमा हो तो उन सभी का विवरण।

बीमाकृत व्यक्ति हमेशा अपने खर्चे पर सभी ऐसे अन्य विवरणों, योजनाओं, विशिष्ट किताबों, वाउचरों, बीजक उनकी अनुलिपियां या प्रतियां, दस्तावेज, जांच रिपोर्टों (आंतरिक/बाह्य), दावे के संबंध में सबूत एवं सूचना तैयार करेगा, अधिप्राप्त करेगा और कंपनी को प्रस्तुत करेगा तथा आग लगने के मूल स्थान और उसका कारण तथा उन

परिस्थितियों, जिनके तहत हानि अथवा क्षति हुई है, का ब्यौरा देगा और कंपनी की देयता तक पहुंचने वाले किसी मामले अथवा देयता की राशि जैसा कि कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से दावों और उससे संबंधित किसी मामले की सत्यता की घोषणा और शपथ अथवा अन्य कानूनी तरीके से समुचित रूप से अपेक्षित हो सकती है।

इस पालिसी के तहत कोई भी दावा इस निबंधन शर्त को पूरा किए बिना देय नहीं होगा।

(i) यदि बीमाकृत व्यक्ति हानि की तारीख से 6 महीने की अवधि में कोई सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो कंपनी के पास दावे को दावे के रूप में नहीं माने जाने का अधिकार है।

(ii) चाहे कोई भी मामला हो, कंपनी हानि अथवा क्षति के होने के 12 महीने की समाप्ति के बाद किसी हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होगी, जब तक कि वह विषय लंबित कार्रवाई अथवा मध्यस्थता के अधीन नहीं हो; इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमति है और यह घोषित किया जा रहा है कि यदि कंपनी किसी दावे के समायोजन के लिए देयता को अस्वीकार करेगी तथा ऐसे दावे को अस्वीकार करने की तारीख से 12 कैलेंडर महीने के भीतर अदालत में एक अभियोग का विषय नहीं बनाया जाता है तो दावा सभी प्रयोजनों के लिए छोड़ा हुआ माना जाएगा और इसके बाद इसके अधीन वसूली योग्य नहीं होगा।

5.इस पालिसी द्वारा बीमाकृत किसी संपत्ति के लिए हानि अथवा क्षति के होने पर कंपनी निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

(क) कंपनी उस भवन अथवा परिसर में प्रवेश कर सकती है और उसका कब्जा ले सकती है जहां हानि अथवा क्षति हुई है।

(ख) हानि अथवा क्षति के समय भवन अथवा परिसरों में बीमाकृत की किसी संपत्ति का कब्जा ले सकती है अथवा उसे सौंपने की मांग कर सकती है।

(ग) ऐसी किसी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है और उसकी जांच कर सकती है, उसे श्रेणीबद्ध, व्यवस्थित, अलग कर सकती है अथवा किसी और तरीके से उससे निपट सकती है।

(घ) ऐसी किसी संपत्ति जिससे यह संबंधित है, उसके खाते के लिए इसे बेच सकती है और उसका निपटान कर सकती है।

इस शर्त द्वारा प्रदत्त शक्तियां कंपनी का किसी भी समय प्रयोग कर सकती है, जब तक बीमाकृत व्यक्ति लिखित में यह सूचना नहीं देता है कि वह इस पालिसी के तहत कोई दावा नहीं करेगा या यदि इस प्रकार का कोई दावा किया जाता है, तो जब तक ऐसा दावा अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हो जाता अथवा वापस नहीं ले लिया जाता है और कंपनी इसके अधीन इसकी शक्तियों के प्रयोग अथवा तथाकथित प्रयोग में कोई कार्य नहीं करेगी, बीमाकृत व्यक्ति के लिए किसी देयता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी अथवा किसी दावे आदि के जवाब में इस पालिसी की शर्तों की किसी निर्भरता पर इसके अधिकारों को कम कर सकेगी।

यदि बीमाकृत व्यक्ति अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगा अथवा कंपनी के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में अड़चन अथवा बाधा डालेगा तो इस पालिसी के तहत सभी लाभ समाप्त कर दिए जाएंगे।

बीमाकृत व्यक्ति किसी भी मामले में किसी संपत्ति को कंपनी के लिए छोड़ने का अधिकारी नहीं होगा चाहे उस संपत्ति पर कंपनी का कब्जा हो अथवा नहीं।

6) यदि दावा किसी भी प्रकार से झूठा साबित होता है अथवा इस पालिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति अथवा उसकी ओर से दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा कोइ झूठी घोषणा की जाती है अथवा इसके समर्थन में उसका उपयोग किया जाता है अथवा किसी झठे तरीके अथवा साधन का उपयोग किया जाता है अथवा यदि जानबूझकर किसी तरीके से हानि अथवा क्षति की जाती है अथवा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उनकी अनदेखी की जाती है, तो इस पालिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।

7) यदि कंपनी अपने विकल्प पर हानि अथवा क्षति की राशि का भुगतान करने की बजाय क्षतिग्रस्त अथवा ध्वस्त संपत्ति को पुन:तैयार करती है अथवा उसे बदल देती है अथवा किसी अन्य कंपनी अथवा अन्स्योर के साथ गठबंधन करती है तो कंपनी यथार्थत: अथवा पूरी तरह परिसर को पुन: तैयार करने के लिए बाध्य नहीं होगी, परंतु केवल परिस्थितियों के अनुसार तथा समुचित रूप से पर्याप्त तरीके के अनुसार बाध्य होगी और ऐसे किसी मामले में कंपनी

पुन:निर्माण में अधिक विस्तार करने के लिए बाध्य नहीं होगी, जब तक कि हानि अथवा क्षति होने के समय ऐसी संपत्ति की पुन: निर्माण लागत कंपनी द्वारा उसके बीमाकृत राशि से अधिक नहीं होगी।

यदि कंपनी किसी संपत्ति को पुन:तैयार करने अथवा बदलने का चयन करती है, तो बीमाकृत व्यक्ति अपने खर्चे पर कंपनी को ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करेगा। विशिष्ट विवरण, माप, मात्रा तथा ऐसे अन्य विवरण जो कि कंपनी के लिए आवश्यक हो, और संपत्ति को पुन:तैयार करने अथवा बदलने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है अथवा कार्य किए जाने का कारण नहीं बनता है, तो वह संपत्ति को पुन:तैयार करने अथवा बदलने के कंपनी द्वारा एक चयन समझा जाएगा।

यदि किसी मामले में कंपनी नगरपालिका अथवा अन्य विनियमनों के कारण प्रत्येक ऐसे मामले में कंपनी केवल वहीं राशि सड़कों के सुयोजन अथवा भवन निर्माण अथवा अन्यथा प्रभावित होने की वजह से बीमाकृत संपत्ति को पुन:तैयार अथवा मरम्मत नहीं कर पाती है, तो केवल वही राशि देने के लिए उत्तरदायी होगी जो पुन:निर्माण के लिए इसकी पूर्व स्थिति के लिए अपेक्षित होगी।

8) बीमाकृत व्यक्ति ऐसे कार्य, जो कि किसी अधिकार और उपचार अथवा अन्य पक्षों से राहत प्राप्त करने अथवा क्षतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक अथवा समुचित रूप से अपेक्षित हो सकते हैं, कंपनी के खर्च पर करेगा और इनको करने की सहमति देगा तथा किए जाने की अनुमति देगा जिसके लिए कंपनी इस पालिसी के तहत किसी हानि अथवा क्षति के लिए भुगतान अथवा उसे ठीक करने की हकदार अथवा प्रतिस्थापक होगी अथवा बनेगी, चाहे ऐसे कार्य कंपनी द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति के पहले अथवा बाद में आवश्यक होंगे अथवा अपेक्षित होंगे।

9) यदि किसी हानि अथवा क्षति होने के समय कोई संपत्ति अन्य किसी चल रही बीमा अथवा बीमाओं के तहत बीमाकृत है, चाहे वह बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा उस संपत्ति शामिल व्यक्तियों द्वारा की गई हो, तो इस कंपनी पर ऐसी हानि अथवा क्षति के अपने अनुपात से अधिक का भुगतान करने अथवा अंशदान करने का दायित्व नहीं होगा।

10) यदि एतद्द्वारा बीमाकृत संपत्ति किसी बीमाकृत जोखिम उसकी बीमाकृत राशि से अधिक होती है तो बीमाकृत व्यक्ति को इस अंतर के लिए अपना बीमाकर्ता माना जाएगा तथा तदनुसार वह हानि के संगत समानुपात को वहन करेगा। प्रत्येक मद के लिए यदि एक से अधिक पॉलिसी है, तो वह अलग से इस शर्त के अध्यधीन होगी।

बशर्ते कि इस पालिसी के तहत बीमाकृत जोखिम के किसी प्रचालन अथवा ऐसे ध्वंस अथवा क्षति की शुरूआत पर बीमाकृत संपत्ति पर बीमाकृत राशि बीमाकृत संपत्ति की सामूहिक मूल्य की 85% (पचासी प्रतिशत) से अधिक नहीं है, तो इस शृत का कोई प्रयोजन नहीं होगा और वह लागू नहीं होगी।

11) यदि इस पालिसी के तहत (अन्यथा स्वीकार की जा रही देयता) भुगतान की मात्रा के संबंध में कोई विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होता है, तो ऐसे मतभेद को सभी अन्य प्रश्नों को छोड़कर पक्षों द्वारा लिखित रूप से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा अथवा कोई पक्ष 30 दिनों के भीतर एकल मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो, तो उसे तीन मध्यस्थों के पैनल को भेज जाएगा जिसमें दो मध्यस्थ, विवाद/मतभेद के लिए प्रत्येक पक्षकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा दूसरा विवाद/मतभेद के लिए प्रत्येक पक्षकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीसरा मध्यस्थ ऐसे दो मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और यह मध्यस्थ, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के तहत एवं उसके अनुसार कार्य करेगा।

इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमति हुई है एवं यह समझा गया है कि यदि कंपनी इस पालिसी के तहत अथवा इसके संबंध में विवादग्रस्त अथवा देयता स्वीकार नहीं करती है, तभी कोई मतभेद अथवा विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

इसमे स्पष्ट रूप से निर्धारित तथा घोषित किया गया है कि इस पालिसी के तहत किसी अधिकार अथवा मुकदमे की कार्रवाई से पहले यह पूर्ववर्ती शर्त होगी कि ऐसे मध्यस्थ/मध्यस्थों द्वारा दी गई हानि अथवा क्षति की राशि प्रथमत: लागू होगी ।

12) इस पालिसी की बीमा की अवधि के पूरे समय बीमा कवर, इस पालिसी के तहत किसी हानि के निपटान पर उसके विचारार्थ संबंधित बीमित राशि की पूर्ण सीमा के लिए रखा जाएगा, ऐसी हानि की राशि के लिए बीमा की

परिपक्वता अवधि के लिए ऐसी हानि की तारीख से अपरिपक्वता की अवधि के लिए यथानुपात प्रीमियम बीमित व्यक्ति व्यक्ति द्वारा कंपनी को देय होगा।

अनुबंध-I

मौजूदा औद्योगिक संपदा की सूची

कश्मीर प्रभाग

क्र. सं.	जिले का नाम	औद्योगिक संपदा का नाम
01.	श्रीनगर	बीएएमके (बागी अली मर्दन खान) जकुड़ा जैनकोट खोनमोह शलटैंग
02.	गांदरबल	दुदेरहामा गंडेरबल
03.	बड़गाम	बर्जुल्ला रंगरेथ
04.	अनंतनाग	अनंतनाग अंचिडोर बिजबेहर
05.	कुलगाम	कुलगाम
06.	पुलवामा	पुलवामा चटपोड़ा आईडीसा लस्सीपोड़ा
07.	शोपियां	गगरन
08.	बारामूला	बारामूला सोपोर फूड पार्क दोआबगाह
09.	बांदीपुरा	सुबंल
10.	कुपवाड़ा	ब्रानवाड़ा चोटीपोड़ा
11.	लेह	लेह फ्यांग खल्टसी
12.	कारगिल	चंचिक खुरबाठांग

कश्मीर प्रभाग में नई औद्योगिक संपदा (विकासाधीन)

01.	अनंतनाग	वेस्सु अनंतनाग शेस्टेरगम महमूदा बाग दुरु
02.	पुलवामा	टाकिया रजाक शाह त्राल खानमोह के निकट ख्रीव
03.	कुलगाम	अशमुजी कुलगाम मालवन कुलगाम कुलगाम फेज-II

04.	बड़गाम	रंगरेथ फेज-II ओम्पोड़ा
05	कुपवाड़ा	चोटीपोड़ा (हंडवाड़ा) राडबघ
06.	शोपियां	अगलर
07.	बारामूला	बंगील तंगमार्ग
08.	लेह	फ्यांग खाल्टसी
09.	कारगिल	ख़बाथंग (चंग्राथंग)

औद्योगिक संपदा की सूची

जम्मू प्रभाग

क्र. सं.	जिले का नाम	पहचान की गई संपदा के नाम
01.	जम्मू	डिगिआना जम्मू कैंट गंगयाल बीरपुर बारीब्रहम्ना एवं ईपीआईपी करठोली अखनूर
02.	साम्बा	साम्बा आईजीसी साम्बा फेज-III
03.	ऊधमपुर	ऊधमपुर एच डी बट्टल बिलियन
04.	रियासी	रियासी (ग्रान)
05.	कठुआ	कठुआ हीरानगर बिल्लावर आईआईडी गोविंदसर सेरामिक्स इंडस्ट्रियल कंप्लेक्स
06.	राजौरी	खेओड़ा
07.	पुंछ	पुंछ
08.	किश्तवाड़	संग्रामबट
09.	डोडा	दांडी(भडेरवाह)

जम्मू प्रभाग में नई औद्योगिक संपदा (विकासाधीन)

क्र.सं.	जिले का नाम	औद्योगिक संपदा का नाम
01.	कठुआ	घट्टी गोविंदसर फेज I-II डंबरा बिल्लावर हीरानगर (चाक बुलानंदा)
02.	राजौरी	ठंडी पानी (रेशम क्लस्टर) लंबेरी

03.	ऊधमपुर	मजल्टा
04.	डोडा	बेओली
05	रियासी	निंब
06.	पुंछ	सुरंकोट
07.	साम्बा	आईजीसी साम्बा फेज-III

अनुबंध-II

जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति के तहत शामिल किए गए मुख्य उद्योग

क्र.सं.	क्रियाकलाप/उद्योग
1	खाद्य प्रसंस्करण/कृषि आधारित उद्योग क. चटनियां, कैचप आदि ख. फलों का रस तथा फलों का गूदा ग. जैम, जैली, सब्जियों का रस, प्यूरे, अचार आदि घ. घ्ताजे फलों का प्रसंस्करण, फल वर्धन, पैकिंग, श्रेणीकरण ङ. आटे की चक्की तथा चावल-मिल च. मसाले पीसना छ. दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों का पाश्चरीकरण/प्रसंस्करण
2	चमड़ा प्रसंस्करण तथा चमड़े की वस्तुएं
3	ऊतक संवर्धन और मशरूम संवर्धन, खाद बनाना, डेयरी फार्मिंग
4	सिल्क रीलिंग, यार्न और रेशम के अपशिष्ट से यार्न स्पन, रेशम या रेशम के अपशिष्ट से बुना हुआ कपड़ा।
5	ऊन तथा ऊन का बुना हुआ कपड़ा, ऊनी कंबल बनाना।
6	सूत का बुना हुआ कपड़ा
7	पुष्पकृषि, सुगन्धित और औषधीय पौधे का प्रसंस्करण, ग्रीन हाउस।
8	कम्प्यूटर हार्डवेयर/इलैक्ट्रॉनिक्स (इंटीग्रेटिड सर्किट एवं माइक्रो असेम्बलीज)
9	खेल-कूद का सामान एवं वस्तुएं तथा सामान्य शारीरिक व्यायाम के उपकरण
10	ऑटो एन्सलेरी।
11	खनिजों की खोज तथा खनिज आधारित उद्योग। जिप्सम, चिप बोर्ड सहित प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्रेनाइट एवं मार्बल कटिंग और फिनिशिंग, रत्नों की कटिंग और पॉलिशिंग तथा आभूषण बनाना।
12	पारिस्थितिकी पर्यटन:- होटल, हाउसबोट, रिजॉर्ट, साहसिक तथा आरामदेह खेल, मनोरंजन पार्क, केबल कार, गेस्ट हाउस।
13	हस्तशिल्प और हथकरघा
14	सूक्ष्म इंजीनियरिंग
15	पैकिंग उद्योग :- चिपकने वाले टेप, स्ट्रेपिंग रोल, पेट बोतल कार्ड बोर्ड कॉरूगेटिड बॉक्स, प्लास्टिक कंटेनर कैप, एचडीपीई बोतल, ड्रम, बैरल, कैन, बोतलों के लिए आरओपीपी कैप, बुने हुए बोरे (वूवन सैक), एचडीपीई फैब्रिक जैसी मदें।
16	मिनरल वॉटर को बोतलबंद करना।
17	नोट बुक, पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स आदि जैसा स्टेशनरी का सामान।
18	लकड़ी आधारित उद्योग:- प्लाइवुड/प्लाइ बोर्ड/कोर वनीर/पेंसिल ब्लॉक/स्लेट्स/जॉइनरी/फर्नीचर/पैनलिंग का विनिर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2013.

F.No.1(10)/2012-SPS.—The Government of India is pleased to make the following Scheme of Comprehensive Insurance subsidy for Industrial Units for the state of Jammu & Kashmir as J&K Package-II with a view to accelerating industrial development in the state.

1. **Short Title:—**This scheme may be called Central Comprehensive Insurance Subsidy Scheme, 2012.
2. **Commencement and Duration :—**It will come into effect from the 15th June, 2012 and remain in force upto and inclusive of 14.06.2017.
3. **(i) Applicability**:— The Scheme is applicable to all new Industrial Units and the existing industrial units on their substantial expansion.

   (a) 'New industrial unit' means an industrial unit which commences commercial production / operation on or after 15th June, 2012.

   (b) 'Existing industrial unit' means an industrial unit which has commenced commercial production / operation before 15th June, 2012.

   (ii) Eligibility:—The subsidy will be available during the duration of the scheme to such industrial units which have pre-registered and commenced commercial production / operation before 14-06-2017, for a period of five years from date of commencement of commercial production / operation. The unit should file its claim as per prescribed procedure at District Industry Centre concerned within one year from the date of commencement of commercial production / operation. The industrial units registered before 15-06-2012 under the erstwhile scheme of subsidies and have filed the claims within one year of the date of commencement of commercial production / operation would be eligible for subsidies under the erstwhile scheme. Units which were registered after 15-06-2012 would be covered under the present scheme. However, if such a unit has not registered with DIC (District Industry Centre) due to non-existence of the Package during the intervening period or not submitted claims within one year of the date of commencement of commercialproduction / operation, the unit can do so no later than 31st December, 2013.

   (iii) Extent of admissible subsidy:- An Insurance subsidy to the extent of 100% would be admissible during the extended package to all new industrial units and to the existing units on substantial expansion in notified areas as per **Annexure-I** and also to specified Thrust Industries outside the notified areas as per **Annexure-II** for a period of five years from the date of commencement of commercial production.
4. **Definition of Industrial Unit**:- Any industry which is included in Fire Policy 'C' as per All India Fire Tariffs.

5. Fixation of Sum Insured:- The Policy shall be issued on market valuation by the Insurance Company.

6. 'Substantial Expansion' means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity/ modernization and diversification.

7. Mode of Operation:-The Insurance policy envisaged under the Scheme will be as indicated in **Annexure-A.**

SHUBHRA SINGH , Jt. Secy.

ANNEXURE –A

COMPREHENSIVE INSURANCE POLICY FOR INDUSTRIAL UNIT IN JAMMU & KASHMIR

"IN CONSIDERATION OF the Insured named in the schedule hereto having paid to the _____ Insurance Company Limited (hereinafter called the company) the premium mentioned in the said schedule, THE COMPANY AGREES, (subject to the conditions and exclusions contained herein or endorsed or otherwise expressed hereon) that if after payment of the premium the property insured described in the said schedule or any part of such property be destroyed or damaged by the following:-

i. Fire
ii. Lightning
iii. Explosion/Implosion but excluding loss of or damage
   (a) to boilers (other than domestic boilers), economisers or other vessels, machinery or apparatus in which steam is generated or their contents resulting from their own explosion/implosion,
   (b) caused by centrifugal force.
iv. Riot, Strike, Malicious, and terrorist Damage as per riot Strike, Malicious and terrorist Damage clause printed hereon.
v. Impact by any Rail/Road vehicle or animal.
vi. Aircraft and other aerial and/or space devices and/or articles dropped therefrom, excluding destruction or damage occasioned by pressure waves caused by such devices,
vii. Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Flood and Inundation.
viii. Subsidence and Landslide (including Rockslide) resulting in collapse of the entire building or part of,
ix. Earthquake Fire and Shock

During the period of insurance named in the said schedule or of any subsequent period in respect of which the insured shall have paid and the Company shall have accepted the premium required for the renewal of the policy, the Company will pay to the Insured the value of the Property at the time of the happening of its destruction or the amount of such damage or at its option reinstate or replace such Property or any part thereof.

PROVIDED that the liability of the Company shall in no case exceed in respect of each item the sums expressed in the said Schedule to be insured thereon or in the whole the total sum insured thereby or such other sum or sums as may be substituted thereof by memorandum thereon or attached hereto signed by or on behalf of the company."

RIOT, STRIKE, MALICIOUS AND TERRORIST DAMAGE CLAUSE

This Policy covers Riot, Strike, Malicious and Terrorist Damage as under:-

I. Loss of or visible physical damage by external violent means to the property insured directly caused by:

1) The act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in exclusion 7(a),(b).

2) The action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimising the consequence of any such disturbance.

3) The willful act of any striker or locked out worker done in furtherance of strike or in resistance to a lock out resulting in visible physical damage by external violent means.

4) The action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.

5) Any malicious act but excluding any omission of any kind of any person(whether or not such act is committed in the course of a disturbance of public peace) provided that the Company shall not be liable for any loss of damage arising out or in the course of burglary, housebreaking, theft or larceny or any attempt by any person taking part therein.

II. Loss of or Damage to the property insured by explosion or otherwise directly caused by:

1. An act of terrorism committed by a person or persons acting on behalf of or in connection with any organization.

2. The action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such act, of terrorism or in minimizing the consequences thereof.

For the purpose of this clause "terrorism" shall mean the use of violence for political ends and shall include any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.

EXCLUSIONS

THIS INSURANCE DOES NOT COVER

1. Loss by theft during or after the occurrence of any insured peril except as provided for in the Riot, Strike and Malicious Damage Clause.
2. Loss or damage to property occasioned by its undergoing any heating or drying process.
3. Loss or damage occasioned by or through or in consequence of
   (a) the burning of property on order of any public authority
   (b) subterranean fire
4. Loss of damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by nuclear weapons material.
5. Loss or damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by ionising radiations or contaminations by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this Exclusion only, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
6. Loss or damage to any electrical machine, apparatus, fixture or fitting (including electric fans, electric household or domestic appliances, wireless sets, television sets and radios) or to any portion or the electrical installation, arising from or occasioned by over-running, excessive pressure, short circuiting, arcing, self-heating or leakage or electricity, from whatever cause(lightning included) provided that this exemption shall apply only to the particular electrical machine, apparatus, fixture, fitting or portions of the electrical installation so affected and not to other machines, apparatus, fixtures, fittings, or portions of the electrical installation which may be destroyed or damaged by fire so set up.
7. Loss or damage occasioned by or through or in consequence directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely,
   (a) War, invasion, act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war,
   (b) Mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power.

   In any action, suit or other proceeding where the company alleges that by reason of the provisions of the above exclusions any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the insured.
8. Loss or damage to bullions or unset precious stones, any curios or work of art, for an amount exceeding Rs.1000/-, manuscripts, plans, drawings patterns, models or moulds, securities, obligations or documents of

any kind, stamps, coins or paper money, cheques, books of account or other business books, computer system records, explosives, unless otherwise expressly stated in the policy.

9. Property insured if removed to any building or place other than in which it is herein stated to be insured except Machinery and Equipments temporarily removed for repairs, cleaning, renovation or other similar purposes for a period not exceeding 60 days.

This insurance does not cover

a) Loss of earnings, loss by delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever.

b) Loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding or interruption or cessation of any process or operation or omissions of any kind.

c) Loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation commandeering or requisition by any lawfully constituted authority.

d) Loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building or plant or unit or machinery resulting from the lawful occupation by any person of such building or plant or unit or machinery or prevention of access to the same.

PROVIDED nevertheless that the Company is not relieved under (c) or (d) above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.

CONDITIONS

1. THIS POLICY shall be voidable in the event of mis-representation, mis-description or non-disclosure of any material particular.

2. All insurance under this policy shall cease on expiry of seven days from the date of displacement of any building or part hereof or of the whole or any part of any range of building or of any structure of which such building forms part.

PROVIDED such a fall or displacement is not caused by insured perils loss or damage by which is covered this policy or would be covered if such building, range of buildings or structure were insured under this policy. Notwithstanding the above, the company, subject to an express notice being given as soon as possible but not later than 7 days of any such fall or displacement, may agree to continue the insurance subject to revised rates, terms and conditions as may be decided by it and confirmed in writing to this effect.

3. The insurance may be terminated at any time at the request of the insured, in which case the company will retain the premium at customary short period rate for the time the policy has been in force. The insurance may also at any time be terminated at the option of the Company on 15 days notice to that effect being given to the Insured, in which case the company shall be liable to reply on demand a ratable proportion of the premium for the un-expired term from the date of the cancellation.

4. (1) On the happening of any loss or damage the insured shall forthwith give notice thereof to the company and shall within 15 days after the loss or damage or such further time as the company may in writing allow in that behalf, deliver to the company.

(a) A claim in writing for the loss or damage containing as particular an account as may be reasonably practicable of all the several articles or items or property damage or destroyed, and of the amount of the loss or damage thereto respectively, having regard to their value at the time of the loss or damage not including profit of any kind.

(b) Particulars of all other insurances, if any.

The insured shall also at all time at his own expense produce, procure and give to the company all such further particulars, plans, specification books, vouchers, invoices, duplicates or copies thereof, documents, investigation reports (internal/external), proofs and information with respect to the claim and origin and cause of the fire and the circumstances under which the loss or damage occurred and any matter touching liability or the amount of the liability of the Company as may be reasonably required by or on behalf of the company together with a declaration and oath or in other legal from of the truth of the claims and of any matters connected therewith.

No claim under this policy shall be payable unless the terms of this condition have been complied with.

(i) The Company reserves the right to treat the claim as no claim if no information/documents are submitted by the insured with a period of 6 months from the date of loss.

(ii) In no case whatsoever shall the Company be liable for any loss or damage after the expiration of 12 months from the happening of the loss or damage unless the claim is the subject of pending action or arbitration; it being expressly agreed and declared that if the Company shall disclaim liability for any claim hereunder and such claim shall not within 12 calendar months from the date of the disclaimer have been made the subject matter of a suit in a court of law then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

5. On the happening of loss or damage to any of the property insured by this policy, the Company may:-

(a) enter and take and keep possession of the building or premises where the loss or damage has happened.

(b) take possession of or require to be delivered to it any property of the insured in the building or on the premises at the time of the loss or damage.

(c) keep possession of any such property and examine, sort, arrange, remove or otherwise deal with the same.

(d) sell any such property or dispose of the same for account of whom it may concern.

The powers conferred by this condition shall be exerciseable by the Company any time until notice in writing is given by the insured that he makes no claim under the policy, or if any claim is made, until such claim is finally determined or withdrawn, and the company shall not by any act done in the exercise or purported exercise of its powers hereunder, incur any liability to the insured or diminish its rights to rely upon any of the conditions of this policy in answer to any claim etc.

If the insured or any person on his behalf shall not comply with the requirements of the Company or shall hinder or obstruct the Company, in the exercise of its powers hereunder, all benefits under this policy shall be forfeited.

The Insured shall not in any case be entitled to abandon any property to the Company whether taken possession of by the Company or not.

6) If the claim be in any respect fraudulent, or if any false declaration be made or used in support thereof or if any fraudulent means or devices are used by the insured or any on acting on his behalf to obtain any benefit under the policy or if the loss or damage be occasioned by the willful act, or with them connivance of the insured, all benefits under this policy be forfeited.

7) If the company at its option, reinstate or replace the property damaged or destroyed or any part thereof, instead of paying the amount of the loss or damages, or join with any other Company or Unsure(s) in so doing, the Company shall not be bound to reinstate exactly or completely but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner, and in no case shall the Company be bound to expend more in reinstatement than it would have cost to reinstate such property as it was at the time of the occurrence of such loss or damage not more than the sum insured by the Company thereon.

If the Company so elect to reinstate or replace any property, the insured shall at his own expense furnish the Company with such plans. Specifications, measurements, quantities and such other particulars as the Company may require, and no acts done, or caused to be done, by the company with a view to reinstatement or replacement shall be deemed an election by the company to reinstate or replace.

If in any case the Company shall be unable to reinstate or repair the property hereby insured, because of any municipal or other regularizations in force affecting the alignment of streets or the construction of buildings or otherwise, the Company shall in every such case, only be liable to pay such sum as would be requisite to reinstate to its former condition.

8) The insured shall at the expense of the Company do and concur in doing, and permit to be done, all such acts and things as may be necessary or reasonably required by the Company for the purpose of enforcing any rights and remedies or of obtaining relief or indemnity from other parties to which the Company shall be or would become entitled or subrogated, upon its paying for or making good any loss or damage under this policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after his indemnification by the Company.

9) If at the time of any loss or damage happening to any property hereby insured there be any other subsisting insurance or insurances, whether effected by the insured or by any other person or persons covering the same property, this Company shall not be liable to pay or contribute more than its ratable proportion of such loss or damage.

10) If the property hereby insured shall at the breaking out of any insured peril, be collectively of greater value than the sum insured thereon, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference, and shall bear a ratable proportion of the loss accordingly. Every item, if more than one of the policy shall be separately subject to this condition.

Provided, however that if the sum insured hereby on the property insured shall at the operation of any of the perils insured under this Policy or at the commencement of such destruction or damage be not less than 85% (eighty-five percent) of the collective value of the property insured, this condition shall be of no purpose and effect.

11) If any dispute or difference shall arise as to the quantum to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of a sole arbitrator to be appointed in writing by the parties to or they cannot agree upon a single arbitrator within 30 days of any party invoking arbitration the same shall be referred to a panel of three arbitrators, comprising of two arbitrators, one to be appointed by each of the parties to the dispute/difference and the third arbitrator to be appointed by each of the parties to the dispute/difference and the third arbitrator to be appointed by such two arbitrators and arbitrator shall be conducted under and in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

It is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be referable to arbitration as herein before provided, if the company has disputed or not accepted liability under or in respect of this policy.

It is hereby expressly stipulated and declared that it shall be a condition precedent to any right of action or suit upon this policy that the award by such arbitrator/arbitrators of the amount of the loss or damage shall be first obtained.

12) At all times during the period of insurance of this policy the insurance cover will be maintained to the full extent of the respective sum insured in consideration of which, upon the settlement of any loss under this policy, pro rata premium for the unexpired period from the date of such loss to the expiry period of insurance for the amount of such loss shall be payable by the Insured to the Company.

ANNEXURE-I
List of Existing Industrial Estates.
Kashmir Division

Sl. No..	Name of District	Name of Industrial Estate
01.	Srinagar	BAMK (Bagi Ali Mardan Khan Zakura Zainkote Khonmoh Shaltaing
02.	Ganderbal	DuderhamaGanderbal
03.	Budgam	Barzulla Rangreth
04.	Anantnag	Anantnag Anchidora Bijbehara
05.	Kulgam	Kulgam
06.	Pulwama	Pulwama Chatpora IDC Lassipora
07.	Shopian	Gagran
08.	Baramulla	Baramulla Sopore Food Park Doabgah
09.	Bandipora	Sumbal
10.	Kupwara	Branwara Chotipora
11.	Leh	Leh Phyang Khaltsi
12.	Kargil	Chanchik Khurbathang

New Industrial Estates (Under Development) in Kashmir Division.

01.	Anantnag	VessuAnantnag ShestergamMehmoodaBaghDuru
02.	Pulwama	TakiaRazak Shah Tral Khrew near Khanmoh
03.	Kulgam	AshmujiKulgam MalwanKulgam Kulgam Phase II
04.	Budgam	Rangreth Phase-II Ompora
05	Kupwara	Chotipora (Handwara) Radbugh
06.	Shopian	Aglar
07.	Baramulla	BangilTangmarg
08.	Leh	Phyang Khaltsi
09.	Kargil	Khrbathang (Changrathang)

List of Industrial Estates
Jammu Division

Sl.No.	Name of District	Name of Identified Estate
01.	Jammu	Digiana Jammu Cantt. Gangyal Birpur Baribrahmna& EPIP Kartholi Akhnoor
02.	Samba	Samba IGC Samba Phase-III
03.	Udhampur	Udhampur H D BattalBallian
04.	Reasi	Reasi (Gran)
05.	Kathua	Kathua Hiranagar Billawar IID Govindsar Ceramix Ind. Complex
06.	Rajouri	Kheora
07.	Poonch	Poonch
08.	Kishtwar	Sangrambata
09.	Doda	Dandi (Bhaderwah)

New Industrial Estates (Under Development) in Jammu Division

Sl.No.	Name of District	Name of Industrial Estate
01.	Kathua	Ghatti Govindsar Phase I-II DambraBillawar Hiranagar (ChakBulananda)
02.	Rajouri	ThandiPani (Silk Cluster) Lamberi
03.	Udhampur	Majalta
04.	Doda	Beoli
05	Reasi	Nimba
06.	Poonch	Surankote
07.	Samba	IGC Samba Phase-III

ANNEXURE –II
Thrust Industries included under J&K Industrial Policy

Sl.No.	**Activity /Industry**
1.	**Food processing /Agro based Industries :-** a. Sauces, Ketchup etc. b. Fruit juices and Fruit pulp c. Jams, Jellies, Vegetable Juices, Puree, pickles etc. d. *Processing of fresh fruits,* Fruit waxing, packing, grading. e. *Flour mills and Rice Mills.* *f. Spice grinding.* *g. Pasteurization/Processing of milk and other dairy products.*
2.	**Leather** processing and Leather goods.
3.	**Tissue culture** and ***Mushroom*** *culture, Compost making , Dairy farming.*
4.	**Silk** reeling, yarn and yarn spun from silk waste, Woven fabrics of silk or silk waste.
5.	**Wool** and woven fabrics of wool, *Manufacturing of woolen blanket.*
6.	**Woven fabrics of cotton.**
7.	**Floriculture**, Processing of Aromatic and medicinal plant, **Green house.**
8.	**Computer hardware /** Electronics (integrated circuit and micro assemblies).
9.	**Sports goods** and articles and equipment for general physical exercise.

10.	**Auto ancillaries**.
11.	**Exploration of minerals** and *minerals based industry. Gypsum, Plaster of Paris with chip boards, Granite and Marble cutting and finishing, cutting and polishing of gems and making of jewellary.*
12.	**Eco tourism** :- Hotels, Houseboats, Resorts, Adventure and leisure sports, Amusement parks, Cable car, Guest houses.
13.	**Handicrafts and *Handlooms*.**
14.	**Precision engineering.**
15.	***Packing industry*** *:-items like adhesive tapes, strapping rolls, pet bottles, Card board corrugated boxes, plastic container caps, HDPE bottles, drums, barrels, cans, ROPP caps for bottles, Woven sacks, HDPE fabric.*
16.	***Bottling of mineral water*.**
17.	***Stationery items*** *like note book, Pen, Pencils, Erasers, Sharpeners, Geometry boxes etc.*
18.	***Wood based industry*** *:- Manufacturing of plywood / Ply board / Core veneer / Pencil Blocks / Slates/ Joinery / Furniture / Paneling.*

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.